भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च, 2021 को तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	252982,72,85	231114,96,63
जमा राशियाँ	3	3681277,07,96	3241620,73,43
उधार राशियाँ	4	417297,69,88	314655,65,21
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	181979,66,31	163110,10,41
योग		**4534429,63,12**	**3951393,91,80**
आस्तियाँ			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	213201,53,63	166735,77,90
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	129837,17,31	84361,22,64
निवेश	8	1351705,20,51	1046954,51,75
अग्रिम	9	2449497,79,11	2325289,56,07
अचल आस्तियाँ	10	38419,24,19	38439,28,18
अन्य आस्तियाँ	11	351768,68,37	289613,55,26
योग		**4534429,63,12**	**3951393,91,80**
आकस्मिक देयताएँ	12	1706949,91,17	1214994,60,69
वसूली के लिए बिल	-	56516,11,88	55758,16,19
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एंड एस)

स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(आर. सी एंड सार्ज)

अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(सीबी एंड जीएम)

चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(आर एंड डीबी)

निवेशक:

श्री. बी. वेणुगोपाल
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. गणेश नटराजन
श्री मृगांक एम परांजपे
श्री केतन एस. विकमसी
श्री संजीव माहेश्वरी

स्थान:

मुंबई
नई दिल्ली
पुणे
मुंबई
मुंबई
मुंबई

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक : 21 मई, 2021

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अल्पेश वाघेला
भागीदार स.क्र. 142058
फर्म पं. क्र. 105049W

कृते एन सी राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर

वी चंद्रशेखरन
भागीदार स.क्र. 024844
फर्म पं. क्र. 003398S

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार स.क्र. 137686
फर्म पं. क्र. 104863W

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृष्ण साई जी एच
भागीदार स.क्र. 233399
फर्म पं. क्र. 004453S

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E

स्थान: मुंबई
दिनांक: **21** मई**, 2021**

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार स.क्र. 085669
फर्म पं. क्र.001111N

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एंड कपनी
सनदी लेखाकार

ए गोपालकृष्णन
भागीदार स.क्र. 018159
फर्म पं. क्र. 004610S

कृते जी पी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रदीप कुमार समल
भागीदार स.क्र. 061353
फर्म पं. क्र.
302082E

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोक्सी
भागीदार स.क्र. 37606
फर्म पं. क्र. 109574W

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N

कृते ओ पी तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस आर तोतला
भागीदार स.क्र. 071774
फर्म पं. क्र.000734C

कृते एस के कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी बी सिंह
भागीदार स.क्र. 073124
फर्म पं. क्र. 000745C

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

राजीव पुरी
भागीदार स.क्र. 084318
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N50000

अनुसूची

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी : 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी : 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी : 892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,45,87,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
[उपर्युक्त में 10,97,28,170 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर शामिल है (पिछले वर्ष 11,03,42,880 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर) इन्हें 1,09,72,817 (पिछला वर्ष 1,10,34,288) वैश्विक रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है]		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	69942,08,58		65595,65,26	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	6123,14,08		4346,43,32	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			76065,22,66		69942,08,58
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	13756,70,57		9770,86,64	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1465,12,42		3985,83,93	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			15221,82,99		13756,70,57
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथशेष	79115,47,05		79115,47,05	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			79115,47,05		79115,47,05
IV.	**निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	1119,88,09		-	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1928,19,63		1119,88,09	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			3048,07,72		1119,88,09
V.	**विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित निधियाँ**				

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
	अथशेष	9274,60,44		6730,96,89	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		2844,98,23	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	202,20,77		301,34,68	
			9072,39,67		9274,60,44
VI.	**आय एवं अन्य आरक्षित निधियाँ***				
	अथशेष	44641,85,54		49380,51,95	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	5841,36,91		793,96,19	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		5532,62,60	
			50483,22,45		44641,85,54
VII.	**पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ**				
	अथशेष	23762,66,57		24653,94,08	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		379,57,78	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	185,31,79		1270,85,29	
			23577,34,78		23762,66,57
VIII.	**लाभ-हानि खाते का अधिशेष**		(3600,84,47)		(10498,30,21)
योग			**252982,72,85**		**231114,96,63**

* नोट: आय एवं अन्य आरक्षित निधियों में निम्नलिखित शामिल है

(i) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हजार)

(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ ₹14528,51,76 हजार (पिछले वर्ष ₹14032,22,76 हजार)

(iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ 69,58,40 हजार)

अनुसूची 3 - जमा-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**मांग जमा-राशियाँ**		
		(i) बैंकों से	5815,51,86	5129,65,75
		(ii) अन्यो से	280881,87,39	222205,92,69
	II.	**बचत बैंक जमा-राशियाँ**	1384583,88,91	1206371,98,79
	III.	**सावधि जमा-राशियाँ**		
		(i) बैंकों से	5585,34,88	5973,24,84
		(ii) अन्यो से	2004410,44,92	1801939,91,36
	योग		**3681277,07,96**	**3241620,73,43**
ख	I.	भारत में शाखाओं की जमा-राशियाँ	3570164,90,88	3124615,86,05
	II.	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमा-राशियाँ	111112,17,08	117004,87,38
	योग		**3681277,07,96**	**3241620,73,43**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	भारत में उधार-राशियाँ				
	(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		24956,00,00		33533,00,00
	(ii) अन्य बैंक		37,00,00		40,00,00
	(iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसिया		154138,69,61		6165,75,42
	(iv) पूंजीगत लिखते :				
	क. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई)	29835,70,00		23535,70,00	
	ख. गौण ऋण एवं बांड	36289,90,00		32006,73,80	
			66125,60,00		55542,43,80
	योग		**245257,29,61**		**95281,19,22**
II.	**भारत के बाहर उधार-राशियाँ**				
	(i) भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित		169847,10,27		217104,50,99
	(ii) पूंजीगत लिखते :				
	नवोन्मेषी सतत ऋण लिखते (आईपीडीआई)		2193,30,00		2269,95,00
	योग		**172040,40,27**		**219374,45,99**
	कुल योग		**417297,69,88**		**314655,65,21**
	उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं।		183941,81,71		42790,93,47

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	संदेय बिल	17685,38,79	26822,90,16
II.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	-
III.	उपचित ब्याज	15378,91,12	15697,16,19
IV.	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2,46,48	6,16,17
V.	अन्य (प्रावधान सहित)*	148912,89,92	120583,87,89
	योग	**181979,66,31**	**163110,10,41**

* मानक आस्तियों के लिए ₹ 15293,97,78 हजार का विवेकशील प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 11544,24,43 हजार)

अनुसूची 6 - नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	23403,41,73	20104,58,40
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
	(i) चालू खाते में	189798,11,90	146631,19,50
	(ii) अन्य खातों में	-	-
योग		**213201,53,63**	**166735,77,90**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में**		
	(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
	(क) चालू खातों में	40,80	22,59,77
	(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
	(ii) मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्राप्य राशि		
	(क) बैंकों में	47369,93,31	44747,71,31
	(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
	योग	**47370,34,11**	**44770,31,08**
II.	**भारत के बाहर**		
	(i) चालू खातों में	63326,17,58	28303,47,50
	(ii) अन्य जमा खातों में	8311,59,05	1379,28,32
	(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	10829,06,57	9908,15,74
	योग	**82466,83,20**	**39590,91,56**
	कुल योग (I एवं II)	**129837,17,31**	**84361,22,64**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	**भारत में निवेश :**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		1055288,64,35	803270,12,10
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
	(iii) शेयर		7981,38,03	8221,43,31
	(iv) डिबेंचर और बांड		151812,31,87	102363,82,19
	(v) अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में (इसमें सहयोगियाँ सम्मिलित हैं)		13475,17,45	11744,07,18
	(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट, कमर्शियल पेपर इत्यादि)		75716,62,08	74057,22,82
	योग		**1304274,13,78**	**999656,67,60**
II.	**भारत के बाहर निवेश**			
	(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकण सम्मिलित हैं)		17946,34,44	17062,82,86
	(ii) विदेश में स्थापित अनुषंगियाँ तथा/अथवा संयुक्त उद्यम		4768,15,85	4298,49,28
	(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)		24716,56,44	25936,52,01
	योग		**47431,06,73**	**47297,84,15**
	कुल योग (I एवं II)		**1351705,20,51**	**1046954,51,75**
III.	**भारत में निवेश :**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		1314424,07,05	1010599,04,40
	(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		10149,93,27	10942,36,80
	(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार)	**योग**	**1304274,13,78**	**999656,67,60**
IV.	**भारत के बाहर निवेश :**			
	(i) निवेशों का सकल मूल्य		47461,40,62	47448,66,41
	(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास		30,33,89	150,82,26
	(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार)	**योग**	**47431,06,73**	**47297,84,15**
	कुल योग (III एवं IV)		**1351705,20,51**	**1046954,51,75**

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क	I.	क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	95035,10,23	84017,46,96
	II.	कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	676439,31,40	708726,92,91
	III.	सावधि ऋण	1678023,37,48	1532545,16,20
	योग		**2449497,79,11**	**2325289,56,07**
ख	I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है)	1760153,24,52	1673925,40,51
	II.	बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	96522,71,33	92117,72,36
	III.	अप्रतिभूत	592821,83,26	559246,43,20
	योग		**2449497,79,11**	**2325289,56,07**

			31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
ग	I.	भारत में अग्रिम		
		(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	564570,85,92	526675,87,35
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	257241,31,86	287504,28,69
		(iii) बैंक	4618,77,18	812,52,23
		(iv) अन्य	1267713,73,45	1154187,79,39
	योग		**2094144,68,41**	**1969180,47,66**
	II.	भारत के बाहर अग्रिम		
		(i) बैंकों से प्राप्य	79713,82,13	80372,75,07
		(ii) अन्यों से प्राप्य		
		(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	34993,56,29	31091,11,08
		(ख) सिंडीकेट ऋण	170243,57,62	172482,45,21
		(ग) अन्य	70402,14,66	72162,77,05
	योग		**355353,10,70**	**356109,08,41**
	कुल योग (ग-I एवं ग-II)		**2449497,79,11**	**2325289,56,07**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)**				
	लागत/ पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन पर	30317,86,54		30831,77,23	
	परिवर्धन:				
	- वर्ष के दौरान	80,86,88		299,15,09	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	-		3936,14,00	
	कटौतियाँ				
	- वर्ष के दौरान	25,51,07		14,17,04	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	10,53,59		4735,02,74	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	- लागत पर	945,18,85		833,18,06	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	850,52,10		670,54,22	
			28566,97,81		**28814,14,26**
II.	**अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार पुनर्मूल्यांकन लागत पर	33497,62,10		31074,77,30	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	3359,77,85		3352,06,86	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	725,85,92		929,22,06	
	अद्यतन मूल्यह्रास	26631,11,10		24288,37,20	
			9500,42,93		9209,24,90
III.	**निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)**		351,83,45		415,89,02
	कुल (I, II, एवं III)		**38419,24,19**		**38439,28,18**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	20540,95,39	1936,15,88
II.	उपचित ब्याज	30034,46,90	26252,46,38
III.	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	26023,99,26	34450,84,01
IV.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	6559,27,43	2933,44,38
V.	लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	80,41,65	92,02,77
VI.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	56,10	56,10
VII.	अन्य *	268529,01,64	223948,05,74
योग		**351768,68,37**	**289613,55,26**

(*नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा रखे गए ₹ 184093,45,48 हजार (पिछले वर्ष ₹ 163238,91,62 हजार) की जमाराशियाँ शामिल हैं।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	79083,37,30	71642,48,25
II.	अंशत: प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	1508,40,25	1682,66,59
III.	बकाया वादा विनिमय संविदाओं के संबंध में देयता	1027974,90,38	635813,45,45
IV.	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
	(क) भारत में	173090,50,78	165584,80,13
	(ख) भारत के बाहर	72702,50,07	70636,18,96
V.	प्रतिग्रहण,पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	148827,19,35	132364,00,65
VI.	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	203763,03,04	137271,00,66
योग		**1706949,91,17**	**1214994,60,69**

* ₹ 198094,76,48 हजार के डेरिवेटिव्स (पिछले वर्ष ₹ 132209,26,69 हजार) शामिल हैं ।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	265150,63,38	257323,59,22
	अन्य आय	14	43496,37,47	45221,47,80
	योग		**308647,00,85**	**302545,07,02**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	154440,63,33	159238,76,57
	परिचालन व्यय	16	82652,22,35	75173,69,02
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		51143,68,23	53644,50,37
	योग		**288236,53,91**	**288056,95,96**
III.	**लाभ**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ		20410,46,94	14488,11,06
	जोड़े: आगे लाया गया लाभ / (हानि)		(10498,30,21)	(15226,05,54)
	योग		**9912,16,73**	**(737,94,48)**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		6123,14,08	4346,43,32
	पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		1465,12,42	3985,83,93
	निवेश उतार-चढ़ाव निधि में अंतरण		1928,19,63	1119,88,09
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण		426,70,60	308,20,39
	चालू वर्ष के लिए डिविडेंड		3569,84,46	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		(3600,84,46)	(10498,30,21)
	योग		**9912,16,73**	**(737,94,48)**
V.	**प्रति इक्विटी शेयर आय (प्रति शेयर 1 रुपए का अंकित मूल्य)**			
	मूल (₹ में)		22.87	16.23
	कम की गई आय (₹ में)		22.87	16.23
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

अश्विनी कुमार तिवारी	**स्वामीनाथन जे.**	**अश्वनी भाटिया**	**चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी**
प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एंड एस)	(आर. सी एंड सार्ज)	(सीबी एंड जीएम)	(आर एंड डीबी)

निवेशक: **स्थान:**

श्री. बी. वेणुगोपाल — मुंबई

डॉ. पुष्पेंद्र राय — नई दिल्ली

डॉ. गणेश नटराजन — पुणे

श्री मृगांक एम परांजपे — मुंबई

श्री केतन एस. विकमसी — मुंबई

श्री संजीव माहेश्वरी — मुंबई

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक : 21 मई, 2021

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अल्पेश वाघेला
भागीदार स.क्र. 142058
फर्म पं. क्र. 105049W

कृते एन सी राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर

वी चंद्रशेखरन
भागीदार स.क्र. 024844
फर्म पं. क्र. 003398S

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार स.क्र. 137686
फर्म पं. क्र. 104863W

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृष्ण साई जी एच
भागीदार स.क्र. 233399
फर्म पं. क्र. 004453S

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E

स्थान: मुंबई
दिनांक: **21** मई**, 2021**

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार स.क्र. 085669
फर्म पं. क्र.001111N

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए गोपालकृष्णन
भागीदार स.क्र. 018159
फर्म पं. क्र. 004610S

कृते जी पी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रदीप कुमार समल
भागीदार स.क्र. 061353
फर्म पं. क्र.
302082E

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोक्सी
भागीदार स.क्र. 37606
फर्म पं. क्र. 109574W

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N

कृते ओ पी तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस आर तोतला
भागीदार स.क्र. 071774
फर्म पं. क्र.000734C

कृते एस के कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी बी सिंह
भागीदार स.क्र. 073124
फर्म पं. क्र. 000745C

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

राजीव पुरी
भागीदार स.क्र. 084318
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N50000

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	171429,13,89	179748,83,55
II.	निवेशों पर आय	79808,09,01	68204,72,38
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	4317,53,07	2920,40,56
IV.	अन्य	9595,87,41	6449,62,73
	योग	**265150,63,38**	**257323,59,22**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	23517,51,44	23725,05,94
II.	निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) 1	6030,93,10	8575,65,21
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	-	-
IV.	भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(28,58,17)	(28,37,38)
V.	विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	2409,63,79	2516,41,29
VI.	विदेश/भारत में अनुषंगियों/कंपनियों तथा/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय	642,86,22	212,03,35
VII.	विविध आय 2	10924,01,09	10220,69,39
	योग	**43496,37,47**	**45221,47,80**

1 निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) में ₹ 1,539.73 करोड़ की विशेष मदें शामिल हैं।(पिछले वर्ष ₹ 6,215.64 करोड़)
2 विविध आय में अपलिखित खातों में की गई ₹ 10,297.21 करोड़ की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹ 9,250.23 करोड़)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	जमाराशियों पर ब्याज	142435,24,72	147398,96,33
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	6130,13,01	6891,11,73
III.	अन्य	5875,25,60	4948,68,51
	योग	**154440,63,33**	**159238,76,57**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	50936,00,01	45714,96,78
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5253,17,14	5339,11,88
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	505,24,14	526,20,36
IV.	विज्ञापन व प्रचार	238,41,25	246,16,76
V.	बैंक की संपति पर मूल्यह्रास	3317,55,25	3303,81,33
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	2,43,12	1,86,42
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	274,18,79	244,67,58
VIII.	विधि प्रभार	215,25,31	266,66,85
IX.	डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि	301,86,59	349,13,89
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	916,42,58	924,32,58
XI.	बीमा	4348,00,06	3212,71,45
XII.	अन्य व्यय	16343,68,11	15044,03,14
	योग	**82652,22,35**	**75173,69,02**

अनुसूची 17-
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. पृष्ठभूमि :

भारतीय स्टेट बैंक, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों एवं संस्थागत ग्राहकों को व्यापक श्रेणी के उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करने में लगा है। बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों अर्थात बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति में लागू किए जाने वाले विशिष्ट लेखांकन सिद्धांतों एवं लागू करने की विधियों को नीचे दिया गया है।

ख. तैयार करने का आधार :

बैंक की लेखांकन एवं रिपोर्टिंग नीतियाँ भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी), जिनमें लागू सांविधिक प्रावधान, विनियामक मानदंड/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, बैंककारी विनियमन अधिनियम-1949, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक और भारतीय बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं; के अनुरूप हैं।

विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबंधित देश के सांविधिक प्रावधानों एवं स्थानीय कानून की प्रथाओं का अनुपालन किया जाएगा, यदि वे अधिक सख्त हैं।

बैंक के वित्तीय विवरण, जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, अवधिगत लागत परिपाटी के तहत लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ये वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ग. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन-मंडल को, वित्तीय विवरणों की तिथि को- आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन-मंडल का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं तर्कसंगत हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण :

1.1 जहाँ अन्यथा न कहा गया हो, आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित के लिए वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है :

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेशों सहित अलाभकारी आस्तियों से आय

(ii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की बिक्री तथा आस्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभ को लाभ तथा हानि खाते में प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि घटाने के बाद "आरक्षित पूंजी खाते" में विनियोजित किया जाता है।

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों के अधिग्रहण पर छूट यदि है को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है :

क. ब्याज युक्त प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/मोचन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख. शून्य कूपन वाली प्रतिभूतियों पर इसे सतत आय आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है।

1.4 लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर लाभांश आय को हिसाब में लिया जाता है।

1.5 इस अवधि में साख-पत्र/बैंक गारंटी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को प्रोद्भवन आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

1.6 विशेष आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम (दिसंबर 2008 से जून 2009 तक) का परिशोधन 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में किया गया है।

1.7 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई गई दलाली, कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.8 जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी को करता है, तो वह इसे अपने खातों से हटा देता है और उन्हें निम्नानुसार हिसाब में लेता है :

i. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेश

निवेशों के वर्गीकरण एवं मूल्य निर्धारण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नीचे दिए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को हिसाब में लिया जाता है:

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों का वर्गीकरण भारत में और भारत के बाहर के निवेश के रूप में किया गया है।

- प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का पुनः वर्गीकरण (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के रूप में किया गया है। 'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांतत: क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. जिन निवेशों को बाद में बेच देने के उद्देश्य से ही खरीदा और रखा जाता है, को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेशों को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मूल्यांकन :

(i) सभी प्रतिभूतियों के लेनदेनों को निपटान की तिथि को दर्ज किया जाता है और परिपक्वता तक धारित निवेश जिन्हें पहले आओ पहले जाओ आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर इनके लागत का निर्धारण भारित औसत लागत विधि पर किया जाता है।

(क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य, इन तीनों में से न्यूनतम के आधार पर किया गया है। ऐसे अंतरण पर हुआ मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उस हेतु पूर्णत: प्रावधान किया गया है। परंतु एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में अंतरण अधिग्रहण लागत/बही मूल्य पर किया गया है। अंतरण के बाद इन प्रतिभूतियों का तुरंत पुनर्मूल्यांकन किया गया है एवं किसी भी प्रकार के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान किया गया है ।

ii. **परिपक्वता तक धारित श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:**

क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है अभिग्रहण पर प्रदत्त कमीशन का परिशोधन नियत आय आधार पर परिपक्वता अवधि के लिए किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर आय" शीर्ष के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

(ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों) में निवेश को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। प्रत्येक निवेश के मामले में अस्थायी से इतर कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

iii. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:**

एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह (जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर (iv) बांड एवं ऋणपत्र (v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम (vi) अन्य) के लिए सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है।

iv. **निवेशों का अंतर-श्रेणी अंतरण होने पर मूल्यांकन की नीति:**

1) एचएफटी/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अधिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास यदि कोई होने पर, उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

2) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के तुरंत बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यह्रास के लिए लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया जाता है।

v. **प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में मूल्यांकन:**

क) प्रतिभूति रसीद में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है।

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

ग) प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अलाभकारी आस्तियों (वित्तीय आस्तियों) की बिक्री के मामले में प्रतिभूतिकरण कंपनी में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

vi) ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

2.4 निवेश (एनपीआई)

i. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(1) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(2) ईक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन ₹1/- प्रति कंपनी किया गया है, वहाँ ऐसे ईक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(3) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई/जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा। उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिसे अग्रिम माना गया है, पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

ii. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु वर्गीकरण एवं प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बाजार भागीदारों के साथ रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन करता है। प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा उधार ली गई निधियाँ रिवर्स रेपो लेनदेन होते हैं।

(1) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ के लेनदेनों को संपार्श्विक उधर देने एवं उधार लेने के लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(2) बाजार रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों में बेची गई (खरीदी गई) एवं पुनः खरीदी गई (पुनः बेची गई) प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त विक्रय (क्रय) लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजही को रिपो/रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है। रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) एवं रिवर्स रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 7 (बैंकों में शेष तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि) के तहत श्रेणीबद्ध किया गया है।

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्यों के साथ रेपो लेनदेनों पर उधार लेने की लागत एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों पर आय को क्रमशः ब्याज व्यय एवं ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान: :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहने अर्थात् बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाने या तुलनपत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक किसी भी राशि को जमा नहीं किए जाने अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होने पर इन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iv. कृषि अग्रिमों के मामले में यदि (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं, उन्हें अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की गई है, किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:

अवमानक आस्तियाँ :	i.	कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान
	ii.	प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
	iii.	इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ एस्क्रो खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियां :		
- प्रतिभूत हिस्सा :	i.	एक वर्ष तक - 25%
	ii.	एक से तीन वर्ष-40%
	iii.	तीन वर्ष से अधिक- 100%
- अप्रतिभूत हिस्सा	100%	
हानिप्रद आस्तियां :	100%.	

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर हानियों के लिए किए गए प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्रचित/पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के अलावा पुनर्रचना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी एवं छोड़ दिए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान- अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दिए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक विशिष्ट अनर्जक आस्तियों के लिए भी प्रावधान करता है।

3.11 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. **अस्थिर प्रावधान प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) प्रावधान बफर :**

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर तथा अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। इन प्रावधानों का उपयोग भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से नीति में निर्धारित असाधारण परिस्थितियों के अधीन सिर्फ आकस्मिकताओं के लिए ही किया जाएगा।

5. **देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:**

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। इस प्रावधान को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. **डेरीवेटिव्स:**

6.1 बैंक तुलनपत्र की/तुलनपत्र इतर आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने या इनके क्रय-विक्रय के प्रयोजन से डेरीवेटिव्स संविदाएं जैसे विदेशी मुद्रा आप्शन, ब्याज दर अदला-बदली, मुद्रा अदला-बदली, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली और वायदा दर करार निष्पादित करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए बचाव-व्यवस्था करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे बचाव-व्यवस्था लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

6.2 बचाव संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। बचाव संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य राशियाँ" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य राशियाँ 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास और परिशोधन :

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यह्रास घटाने के बाद उचित मूल्य होने के कारण पूर्ण स्वामित्व वाले परिसरों का अंकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व अदा किए गया प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। देशी कार्यालयों की अचल आस्तियों का मूल्यह्रास आस्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नानुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है :

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	उपयोगिता मूल्यह्रास अवधि
1	कंप्यूटर	3 वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	3 वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	3 वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	5 वर्ष
5	सर्वर	4 वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	5 वर्ष
7	अन्य प्रमुख अचल आस्तियां :	
	परिसर	60 वर्ष
	वाहन	5 वर्ष
	सुरक्षित जमा लॉकर	20 वर्ष
	फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष

7.3 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.4 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.5 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि में (परिसर एवं बेमियादी पट्टे पर भूमि को छोड़कर) परिशोधित किया गया है और परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतनों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

7.6 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.7 बैंक प्रत्येक तीन वर्षों में पूर्ण स्वामित्व की अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियों से सामान्य आरक्षित निधियों को विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों की अपसामान्यता:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप उस राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 **विदेशी मुद्रा लेनदेन :**

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (हाजिर/ वायदा))दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम हाजिरी दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. उन विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम हाजिर दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को आरंभ से दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की खुली स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 **विदेशी परिचालन :**

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को गैर-समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. **गैर-समाकलित परिचालन:**

i. असमाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. असमाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित निधियों में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. **समाकलन परिचालन:**

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों (हाजिरी/वायदा) पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।

Iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 **अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :**

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, जैसे अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की गैर-बट्टाकृत राशियों को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान हिसाब में लिया गया है।

11.2 **दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:**

i. **नियत हितलाभ योजनाएं :**

क. बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। सभी पात्र कर्मचारी बैंक की भविष्य निधि योजना के

अंतर्गत ये हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

1. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

2. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। बैंक एसबीआई पेंशन निधि नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।

ग. नियत हितलाभ प्रदान करने संबंधी लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रनीत बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

ii. **नियत अंशदान योजना :**

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और ऐसे नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :**

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

13. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो 'आय पर कर का लेखांकन' से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को लागू या बाद में लागू कर दरों और कर नियमों द्वारा मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। क्या आस्थगित कर आस्तियों की वसूली निश्चित है, इस बारे में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर उनको प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हिसाब में लिया जाता है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अग्रानीत आस्थगित कर आस्तियों को गैर-आमेलित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में तभी माना जाता है, जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय सूचित करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के कर पश्चात निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय से वह संभावित कमी सूचित होती है, जो ईक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का पर घटती है। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले ईक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुरूप बैंक प्रावधान को तभी मानता है, जब उसमें पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ हो और इससे देयता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो तथा जब देयता की राशि का सही आकलन किया जा सके।

15.2 **निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:**

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किंतु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि:-

1. यह संभव नहीं है कि दायित्व की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

2. दायित्व की पूर्ति हेतु राशि का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों जहां, कोई सही आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर ऐसे दायित्व के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तभी किया जाता है, जब किसी संविदा से बैंक को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी देयताओं की पूर्ति के अपरिहार्य व्ययों से कम हो। प्रावधान राशि का निर्धारण संविदा को समाप्त करने के संभावित न्यूनतम व्यय के वर्तमान मूल्य एवं संविदा को जारी रखने के संभावित निवल व्यय पर किया जाता है। प्रावधान की राशि का निर्धारण करने से पूर्व बैंक संविदा से जुड़ी आस्तियों पर नुकसान को हिसाब में लेता है।

15.5 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है। इस शुल्क की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक सोना जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

आय एवं अन्य आरक्षित निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची- 18

लेखा-टिप्पणियां

18.1 पूंजी

1. पूंजी अनुपात

बेसल II के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में))

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	11.19%	10.71%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.63%	2.42%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	13.82%	13.13%

बेसल - III के अनुसार

क्र.सं.	मदें	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.02%	9.77%
(ii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	11.44%	11.00%
(iii)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.30%	2.06%
(iv)	कुल पूंजी अनुपात (%)	13.74%	13.06%
(v)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	56.92%	56.92%
(vi)	भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों की संख्या*	507,97,75,288	507,97,75,288
(vii)	बाजार से प्राप्त इक्विटी पूंजी	-	-
(viii)	अतिरिक्त टियर -1 (एटी 1) पूंजी द्वारा उगाही गई राशि में सम्मिलित है		
	क) पीएनसीपीएस: बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयर	-	-
	ख) पीडीआई: बेमि यादी ऋण लि खते	6,500.00	6,918.40
(ix)	उगाही गई टियर-2 पूंजी में सम्मिलित है:		
	क) ऋण पूंजी लिखत	20,931.00	5,000.00
	ख) अधिमान शेयर पूंजी लिखत:	-	-
	{बेमियादी संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस)/ मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस)/मोचनीय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस)}		

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.न.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-I पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

2. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है और बकाया आईपीडीआई का ब्योरा निम्नानुसार है:

क) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.2021 को रुपए के समतुल्य	31.03.2020 को रुपए के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम 29वीं श्रृंखला के तहत जारी अति रिक्त टियर 1 (एटीआई) बांड	22.09.2016	बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	2,193.30	2,269.95

यह बांड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज (एसजीएक्स) में सूचीबद्ध किए गए हैं।

ख) देशीय: (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बॉण्डों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि	वार्षिक ब्याज की दर %
1.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III एटी 1	2,100.00	06.09.2016	9.00
2.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III एटी1 श्रृंखला II	2,500.00	27.09.2016	8.75
3.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2016 अप्रतिभूत बेसल III एटी1 श्रृंखला III	2,500.00	25.10.2016	8.39
4.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2017अप्रतिभूत बेसल III एटी1 श्रृंखला IV	2,000.00	02.08.2017	8.15
5.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बांड 2018	4,021.00	04.12.2018	9.56
6.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बांड 2018 श्रृंखला II	2,045.00	21.12.2018	9.37
7.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बांड 2018 श्रृंखला III	1,251.30	22.03.2019	9.45
8.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बांड 2019-20 श्रृंखला I	3,104.80	30.08.2019	8.75
9.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बांड 2019=20 श्रृंखला II	3,813.60	22.11.2019	8.50
10.	एसबीआई बेसल III एटी1 बांड 2020-21 श्रृंखला I	4,000.00	09.09.2020	7.74
11.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बांड श्रृंखला II 2020	2,500.00	24.11.2020	7.73
कुल		**29,835.70**		

3. गौण ऋण

बॉण्ड पर अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं अमोचनीय पर प्रतिदेय होते हैं। बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
1.	पूर्ववर्ती एसबबीबीजे निम्न टियर II, (श्रृंखला VI)	500.00	20.03.2012 20.03.2022	9.02	120
2.	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी प्लेसमेंट) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
3.	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II बेसल III अनुपालक	500.00	17.12.2014 17.12.2024	8.55	120
4.	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला I)	950.00	22.01.2015 22.01.2025	8.29	120
5.	पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II बेसल III अनुपालक	200.00	20.03.2015 20.03.2025	8.30	120
6.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XIV)	393.00	31.03.2015 31.03.2025	8.32	120
7.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XV)	500.00	30.12.2015 30.12.2025	8.40	120

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
8.	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II	300.00	31.12.2015	8.40	120
	बेसल-III - अनुपालक		31.12.2025		
9.	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II	200.00	18.01.2016	8.45	120
	बेसल-III - अनुपालक		18.01.2026		
10.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II	200.00	08.02.2016	8.45	120
	बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI)		08.02.2026		
11.	पूर्ववर्ती एसबीएच उच्च टियर II	500.00	26.03.2012	9.25	180
	(श्रृंखला III)		26.03.2027		
12.	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत	4,115.90	02.11.2018	8.90	120
	बेसल III - टियर II बॉण्ड 2018		02.11.2028		
13.	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत	5,000.00	28.06.2019	7.99	120
	बेसल III - टियर II बॉण्ड 2019-20		28.06.2029		
14.	एसबीआई यूएस बेसल III टियर II बॉण्ड 20-21 श्रृंखला 1	8,931.00	21.08.2020	6.80	180
			21.08.2035		
15.	एसबीआई बेसल III टियर II बॉण्ड 20-21 श्रृंखला 2	7,000.00	21.09.2020	6.24	120
			21.09.2030		
16.	एसबीआई बेसल III टियर 2 बॉण्ड 20-21 श्रृंखला 3	5,000.00	26.10.2020	5.83	120
			26.10.2030		
योग		**36,289.90**			

18.2.निवेश

1. बैंक के निवेशों तथा निवेशों पर हुए मूल्यह्रास के लिए किए गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
I.	निवेशों का मूल्य		
i)	निवेशों का सकल मूल्य		
	(क) भारत में	13,14,424.07	10,10,599.04
	(ख) भारत से बाहर	47,461.41	47,448.66
ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		
	(क) भारत में	9,167.91	9,430.13
	(ख) भारत से बाहर	30.34	150.82
iii)	पुनर्संरचित खातों के पूंजीकृत ब्याज पर देयता(एलआईसीआरए)	982.02	1,512.24
iv)	निवेशों का निवल मूल्य		
	(क) भारत में	13,04,274.14	9,99,656.67
	(ख) भारत से बाहर	47,431.07	47,297.84
2.	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
i)	वर्ष के प्रारंभ में अधिशेष	9,580.95	9,252.41
ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3,759.46	5,237.78
iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	9.29	33.48
iv)	घटाएं/जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	(17.06)	(38.04)
v)	घटाएं: वर्ष के दौरान अति रिक्त प्रावधान का अपलेखन / प्रतिलेखन	4,149.94	4,913.80
vi)	वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	9,198.25	9,580.95

टिप्पणियां :

1. ₹2,00,812.86 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹4,225.76 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/एनएससीसीएल/एमसीएक्स/ एनएसईआईएल/बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।
2. वर्ष के दौरान बैंक ने अपनी अनुषंगियों में अतिरिक्त पूंजी लगाई अर्थात i) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), अनुषंगी में ₹ 0.32 करोड़, ii) मध्यांचल ग्रामीण बैंक, सहयोगी ₹ 5.31 करोड़। पूंजी निवेश के बाद बैंक की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
3. बैंक ने यस बैंक लिमिटेड में ₹1,760 करोड़ का निवेश किया है इस प्रकार जुलाई 2020 में सार्वजनिक पेशकशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप बैंक की हिस्सेदारी 31 मार्च 2020 के 48.21% से घटाकर 31 मार्च 2021 को 30% कर दी गई है।
4. वर्ष के दौरान, बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (सहायक कंपनी) में अपनी हिस्सेदारी ₹1,539.73 करोड़ के लाभ पर बेची है, इस प्रकार, बैंक हिस्सेदारी 57.60% से घटाकर 55.50% कर दी गई है।
5. भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, एसबीआई द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और अन्य बैंकों द्वारा प्रायोजित आरआरबी के बीच निम्नलिखित समामेलन हुए हैं।

	ट्रांसफरर आरआरबी का नाम	ट्रांसफरर आरआरबी का प्रायोजक बैंक	आरआरबी के समामेलन के बाद नया नाम	ट्रांसफरी आरआरबी के प्रायोजक बैंक	समामेलन की प्रभावी तिथि
1.	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	बड़ौदा यूपी बैंक	बैंक ऑफ बड़ौदा	1अप्रैल 2020
2.	काशी गोमती समयुत ग्रामीण बैंक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया			
3.	पूर्वांचल बैंक	भारतीय स्टेट बैंक			

2. रेपो लेनदेन (तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित) (अंकित मूल्य पर)

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में))

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2021 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	26,187.27	2,17,557.59	81,383.31	1,76,756.95
	(-)	(1,12,595.20)	(9,166.64)	(34,576.69)
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	7,154.09	9,332.03	8,989.67	7,154.09
	(-)	(15,795.87)	(10,778.12)	(8,696.38)
रिवर्स रेपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	2,40,000.00	1,03,424.17	46,179.93
	(-)	(1,13,000.00)	(38,332.97)	(38,000.00)
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	5,597.89	737.93	-
	(-)	(3,292.71)	(592.93)	(3,292.71)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

3. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

क) गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन -एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निर्गमकर्ता	राशि	निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि)	"निम्न निवेश श्रेणी" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"बिना रेटिंग वाली" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*
i	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	67,194.64	49,960.71	-	-	-
		(62,047.29)	(45,135.13)	(-)	(-)	(-)
Ii	वित्तीय संस्थाएं	1,28,609.88	99,053.50	2,753.21	-	70.00
		(86,460.61)	(74,871.30)	(2,754.24)	(-)	(1,150.00)
iii	बैंक	17,146.96	8,084.82	3,294.33	23.62	23.62
		(24,856.99)	(12,624.53)	(585.10)	(23.62)	(23.62)
iv	निजी कारपोरेट	46,428.01	23,395.02	817.77	-	-
		(35,680.14)	(25,758.70)	(901.99)	(-)	(-)
v	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	18,246.20	-	-	-	-
		(16,045.43)	(-)	(-)	(-)	(-)
vi	अन्य	28,970.89	2,223.99	2,845.99	33.03	6.65
		(29,687.12)	(2,196.19)	(3,558.08)	(46.68)	(4.84)
vii	मूल्यह्रास के लिए रखा गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	10,180.02	-	0.45	-	-
		(11,093.19)	(11.65)	(236.96)	(-)	(-)
	योग	**2,96,416.56**	**1,82,718.04**	**9,710.85**	**56.65**	**100.27**
		(2,43,684.39)	**(1,60,574.20)**	**(7,562.45)**	**(70.30)**	**(1,178.46)**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/ सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ख अनर्जक गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश (₹ करोड़ में))

विवरण	31 मार्च, 2021 की स्थिति	31 मार्च, 2020 की स्थिति
अथशेष	8,995.80	5,609.66
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	446.39	3,686.05
वर्ष के दौरान कमी	4,212.67	299.91
इतिशेष	5,229.52	8,995.80
रखे गए कुल प्रावधान	**5,031.49**	**7,970.83**

4 एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

5 प्रतिभूत रसीदों (एस आर) में निवेश का प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		पिछले 5 वर्षों में जारी एसआर	5 वर्षों से अधिक पहले और 8 वर्षों के भीतर जारी एसआर	8 वर्ष से पहले जारी एसआर	कुल
i	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	972.03	7,355.89	23.98	8,351.90
	(i) के लिए रखा गया प्रावधान	261.81	3,947.02	23.98	4,232.81
ii	आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थान/ गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित एसआर का बही मूल्य	-	3.42	2.69	6.11
	(ii) के लिए रखा गया प्रावधान	-	1.14	2.69	3.83
योग (i) + (ii)		**972.03**	**7,359.31**	**26.67**	**8,358.01**

6 प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) /पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को बेचे गए एनपीए के लिए प्रतिभूत रसीदों में निवेश का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आधार के रूप में बैंक द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		आधार के रूप में अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थानों/गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा विक्रय की गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित बही मूल्य		कुल	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
31 मार्च, 2021 को प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य	8,351.90	8,761.31	6.11	7.14	8,358.01	8,768.45
वर्ष के दौरान प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेश का बही मूल्य	0.61	0.06	-	-	0.61	0.06

18.3. डेरिवेटिव्स

क. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
i)	विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि#	2,75,128.10	2,98,843.36
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियां	4,095.38	8,063.30
iii)	विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	निरंक	निरंक
iv)	विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेन्द्रण	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
v)	विनिमय-बही का उचित मूल्य	3,894.26	7,908.68

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹ 39,189.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 32,134.98 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया

31 मार्च 2021 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	सं.	आनुमानिक मूलधन	आधार (बेचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	336	15,424.30	लिबोर	स्थिर प्राप्य/ अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	1	186.43	लिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	हेजिंग	50	319.92	अन्य	स्थिर प्राप्य/ अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	60	38,265.93	लिबोर	स्थिर प्राप्य/ अस्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	हेजिंग	19	2,152.01	लिबोर	अस्थिर प्राप्य/ स्थिर भुगतान योग्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	125	53,475.95	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	80	23,365.32	लिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	24	14,914.44	लिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1479	59,683.50	मिबोर	स्थिर भुगतान योग्य/ अस्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1612	65,147.00	मिबोर	अस्थिर भुगतान योग्य/ स्थिर प्राप्य
आईआरएस	ट्रेडिंग	1	2,193.30	लिबोर	स्थिर प्राप्य / अस्थिर भुगतान योग्य
	योग	**3,787**	**2,75,128.10**		

ख. बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति	31 मार्च 2020 की स्थिति
1	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि (लिखत-वार)		
	क. ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख. भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	6,400.38	63,670.92
2	31 मार्च, 2021 को बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूलराशि (लिखत-वार)		
	क. ब्याज दर वायदे	निरंक	निरंक
	ख. भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूति	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है। (लिखत-वार)	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है। (लिखत-वार)	लागू नहीं	लागू नहीं

3. डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोज़र

(ग) गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव्स में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव्स, मुद्रा मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रास मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव्स संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव्स का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है।

ii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी का मूल्य में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को होने वाली संभावित हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव्स लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव्स नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव्स के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2020-21 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यत: विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

vii. डेरिवेटिव्स लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

viii. डेरिवेटिव्स सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक प्रतिभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई है। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामले दर मामले आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है। डेरिवेटिव्स लेनदेनों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताएं मामला दर मामला आधार पर ऋण संस्वीकृति शर्तों के साथ निर्धारित की जाती हैं। ऐसे संपार्श्विक आवश्यकताओं को नेमी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कतिपय मामलों में जोखिम न्यूनिकरण उपाय के रूप में लेन-देनों को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास है।

(ख) मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

मद	मुद्रा डेरिवेटिव्स		ब्याज दर डेरिवेटिव्स	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि)				
(क) हेजिंग के लिए	18,858.30@	14,407.12@	54,869.19#	35,421.64#
(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	10,47,976.78	6,55,991.56	2,26,304.06	2,77,804.99
(II) बाजार के बही-मूल्य के अनुसार स्थिति				
(क) आस्ति	9,451.37	14,629.42	4,095.38	8,063.30
(ख) देयता	7,574.61	14,009.98	2,926.20	6,086.78
(III) ऋण जोखिम	43,234.09	36,850.85	6,868.01	11,026.29
(IV) ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
(क) हेजिंग डेरिवेटिव्स पर	-0.25	1.07	-309.95	4.60
(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव्स पर	538.16	86.72	0.70	146.20
(V) वर्ष के दौरान 100*पीवी01 का अधिकतम एवं न्यूनतम				
क) हेजिंग पर				
- अधिकतम	22.09	1.07	1,526.75	460.31
- न्यूनतम	8.83	-	1,112.88	-
(ख) क्रय-विक्रय पर				
- अधिकतम	5.47	2.91	1.67	1.85
- न्यूनतम	0.85	-	0.70	0.03

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ किए गए स्वैप की ₹ 2,156.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1,725.03 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 39,189.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 32,134.98 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए ₹ 2167.90 करोड़ के मुद्रा डेरिवेटिव्स (पिछले वर्ष ₹ 867.18 और ₹ 296.13 करोड़ के गैर-वितरणीय वायदा (पिछले वर्ष ₹ शून्य) शामिल नहीं हैं।

1. मार्च 31, 2021 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ग्रुप के बीच डेरिवेटिव्स व्यापार की बकाया आनुमानिक राशि ₹ 43,810.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 34,727.19 करोड़) है और 31 मार्च 2021 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव्स व्यापार की राशि ₹ 10,331.69 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10,222.51 करोड़) है।

2. ब्याज दर डेरिवेटिव्स की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किन्तु जहाँ 31 मार्च 2021 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 77,741.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹60,632.85 करोड़) है।

18.4.आस्ति गुणवत्ता

1) अनर्जक आस्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
i)	कुल अग्रिमों में निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.50%	2.23%
ii)	अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल)		
	(क) अथशेष	1,49,091.85	1,72,750.36
	(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए)	28,563.45	49,826.28
	उप-योग (I)	1,77,655.30	2,22,576.64
	घटाएं:		
	(घ) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन के कारण कमी	4,250.89	3,339.79
	(ङ) वसूलियों के कारण कमी (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)	12,613.19	17,782.63
	(च) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाता	-	-
	(छ) वर्ष के दौरान अपलेखन के कारण कमी	34,402.20	52,362.37
	उप-योग (ii)	51,266.28	73,484.79
	(च) इतिशेष(I-II)	1,26,389.02	1,49,091.85
III)	निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
	(क) अथशेष	51,871.30	65,894.74
	(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	1,293.50	6,758.88
	(ग) वर्ष के दौरान कमी	16,355.08	20,782.32
	(घ) इतिशेष	36,809.72	51,871.30
IV)	निवल अनर्जक आस्तियों की प्रावधान राशि में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के लिए किए प्रावधानों को छोड़कर)		
	(क) अथशेष	97,220.55	1,06,855.62
	(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	27,269.95	43,067.40
	(घ) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन/प्रतिलेखन	34,911.20	52,702.47
	(घ) इतिशेष	89,579.30	97,220.55

टिप्पणियां :-

क) एनपीए के प्रावधानों के अथशेष एवं इतिशेष में ईसीजीसी/ सीजीएफएमयू से प्राप्त दावे शामिल है और रखी गई बकाया समायोजन राशि क्रमश: ₹ 305.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 235.61 करोड़) और ₹ 283.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹305.54 करोड़) है।

ख) आरबीआई द्वारा जारी परिपत्र सं. डीबीआर.बी.पी.बी.सी. नं .32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 के अनुसार यदि आरबीआई द्वारा मूल्यांकित एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान रिपोर्ट किए गए प्रावधान पूर्व लाभ से 10% से अधिक है तथा/या आरबीआई द्वारा अवधि विशेष के दौरान चिह्नित सकल एनपीए घोषित किए गए वृद्धिशील एनपीए से 15% अधिक है तो बैंकों को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण में किए गए विचलन का प्रकटीकण करना पड़ेगा

तद्नुसार, चूंकि उपरोक्त सीमा में नहीं आने के कारण वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए विचलन की स्थिति अलग से दर्शाई नहीं गई है।

क) पुनर्संरचित खाते

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पुनर्संरचना के तरीके		सीडीआर व्यवस्था के अधीन(1)					एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अधीन (2)				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1अप्रैल 2020 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	2	-	22	8	32	786	112	125	14	1037
			(4)	(-)	(44)	(9)	(57)	(28)	(167)	(142)	(17)	(354)
		बकाया राशि	15.45	-	1,926.30	491.03	2,432.78	206.93	217.50	452.46	6.38	883.27
			(146.04)	(-)	(6,236.10)	(656.53)	(7,038.67)	(46.11)	(307.32)	(415.80)	(6.65)	(775.88)
		संबंधित प्रावधान	0.91	-	-	-	0.91	8.50	-	16.26	0	24.76
			(0.96)	(-)	(-)	(-)	(0.96)	(10.26)	(6.43)	(24.88)	(0.27)	(41.84)
2	चालू वित्त वर्ष में नए पुनर्संरचित खाते	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-	-	-	313	29	7	2	351
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(790)	(6)	(1)	(-)	(797)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	95.14	38.32	1.33	0.06	134.86
			(26.57)	(-)	(-)	(-)	(26.57)	(154.84)	(4.44)	(1.38)	(-)	(160.66)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	0.12	4.30	0.98	0.07	5.46
			(0.02)	(-)	(-)	(-)	(0.02)	(0.24)	(2.72)	(0.40)	(-)	(3.36)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-	-	-	7	-7	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(1)	(-1)	(-)	(-)	(-)
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	2.90	-2.90	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(18.11)	(-18.11)	(-)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	0.04	-0.04	-	-	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/ अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है, और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-				-	-1				-1
			(-2)				(-2)	(-)				(-)
		बकाया राशि	-				-	-16.66				-16.66
			(-155.08)				(-155.08)	(-)				(-)
		संबंधित प्रावधान	-				-	-				-
			(-)				(-)	(-)				(-)
5	वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	-1	-	1	-	-	-4	-11	7	8	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-9)	(-7)	(16)	(-)	(-)
		बकाया राशि	-11.67	-	11.67	-	-	-2.57	-0.37	2.69	0.25	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-2.38)	(-67.31)	(69.69)	(-)	(-)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-0.81	0.59	0.22	-
			(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-0.05)	(-8.78)	(8.83)	(-)	(-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-	-	-8	-2	-10	-453	-6	-71	-	-530
			(-)	(-)	(-22)	(-1)	(-23)	(-24)	(-53)	(-34)	(-3)	(-114)
		बकाया राशि	-1.32	-	-976.92	-56.51	-1034.75	-62.53	-3.10	-362.56	-	-428.19
			(-2.08)	(-)	(-4309.80)	(-165.50)	(-4477.38)	(-9.75)	(-8.84)	(-34.41)	(-0.27)	(-53.27)
		संबंधित प्रावधान	-	-	-	-	-	-0.04	-0.16	-1.73	-	-1.94
			(-0.07)	(-)	(-)	(-)	(-0.07)	(-1.95)	(-0.37)	(-17.85)	(-0.27)	(-20.44)
7	31 मार्च 2021 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	1	-	15	6	22	648	117	68	24	857
			(2)	(-)	(22)	(8)	(32)	(786)	(112)	(125)	(14)	(1,037)
		बकाया राशि	2.46	-	961.05	434.53	1398.04	223.21	249.44	93.92	6.69	573.27
			(15.45)	(-)	(1,926.30)	(491.03)	(2,432.78)	(206.93)	(217.50)	(452.46)	(6.38)	(883.27)
		संबंधित प्रावधान	0.91	-	-	-	0.91	8.61	3.28	16.10	0.29	28.28
			(0.91)	(-)	(-)	(-)	(0.91)	(8.50)	(-)	(16.26)	-	(24.76)

क्र.सं.	पुनर्संरचना के प्रकार		अन्य (3)					कुल (1 + 2 + 3)				
	आस्ति वर्गीकरण		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानिकर	कुल
	विवरण											
1	1 अप्रैल 2020 तक पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	5,104 (300)	184 (227)	682 (786)	162 (171)	6,132 (1,484)	5,892 (332)	296 (394)	829 (972)	184 (197)	7,201 (1,895)
		बकाया राशि	2,199.61 (3,909.81)	536.32 (29.83)	2,479.42 (8,004.74)	349.51 (803.16)	5,564.86 (12,747.54)	2,421.99 (4,101.96)	753.82 (337.15)	4,858.18 (14,656.64)	846.92 (1,466.34)	8,880.91 (20,562.09)
		संबंधित प्रावधान	183.85 (319.57)	76.80 (0.85)	15.41 (15.23)	2.60 (4.05)	278.66 (339.70)	193.26 (330.79)	76.80 (7.28)	31.67 (40.11)	2.60 (4.32)	304.33 (382.50)
2	चालू वित्त के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की सं.	157 (4,813)	93 (61)	11 (21)	2 (1)	263 (4,896)	470 (5,603)	122 (67)	18 (22)	4 (1)	614 (5,693)
		बकाया राशि	299.73 (578.77)	68.67 (1.81)	322.69 (32.88)	36.04 (0.02)	727.12 (613.48)	394.87 (760.18)	106.99 (6.25)	324.02 (34.26)	36.10 (0.02)	861.98 (800.71)
		संबंधित प्रावधान	71.86 (-)	0.27 (65.61)	4.11 (2.09)	1.16 (0.24)	77.40 (67.94)	71.98 (0.26)	4.57 (68.33)	5.09 (2.49)	1.23 (0.24)	82.86 (71.32)
3	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में अपग्रेड होना	उधारकर्ताओं की सं.	4 (17)	-4 (-7)	- (-10)	- (-)	- (-)	11 (18)	-11 (-8)	- (-10)	- (-)	- (-)
		बकाया राशि	0.21 (0.62)	-0.21 (-0.36)	- (-0.26)	- (-)	- (-)	3.10 (18.73)	-3.10 (-18.47)	- (-0.26)	- (-)	- (-)
		संबंधित प्रावधान	0.15 (-)	-0.15 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.20 (-)	-0.20 (-)	- (-)	- (-)	- (-)
4	ऐसे पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिनके लिए वित्त वर्ष के अंत में अतिरिक्त प्रावधान तथा/ अथवा जोखिम प्रभार रखने की आवश्यकता नहीं रह गई है और इसलिए उनको अगले वित्त वर्ष के पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है।	उधारकर्ताओं की सं.	-6 (-16)				-6 (-16)	-7 (-18)				-7 (-18)
		बकाया राशि	-552.42 (-1,130.83)				-552.42 (-1,130.83)	-569.08 (-1,285.91)				-569.08 (-1,285.91)
		संबंधित प्रावधान	-1.64 (-28.19)				-1.64 (-28.19)	-1.64 (-28.19)				-1.64 (-28.19)
5	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन	उधारकर्ताओं की सं.	-3 (-5)	-42 (-73)	-59 (47)	104 (31)	- (-)	-8 (-14)	-53 (-80)	-51 (63)	112 (31)	- (-)
		बकाया राशि	-109.58 (-675.75)	-9.83 (631.60)	89.88 (43.65)	29.53 (0.50)	- (-)	-123.82 (-678.13)	-10.20 (564.29)	104.24 (113.34)	29.78 (0.50)	- (-)
		संबंधित प्रावधान	-0.01 (-11.57)	-0.14 (10.62)	-0.59 (0.45)	0.73 (0.50)	- (-)	-0.01 (-11.62)	-0.95 (1.84)	- (9.28)	0.95 (0.50)	- (-)
6	चालू वित्त वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का अपलेखन	उधारकर्ताओं की सं.	-1238 (-5)	-31 (-24)	-224 (-162)	-46 (-41)	-1539 (-232)	-1691 (-29)	-37 (-77)	-303 (-218)	-48 (-45)	-2079 (-369)
		बकाया राशि	-283.33 (-483.01)	-505.22 (-126.56)	-704.65 (-5,601.59)	-1.80 (-454.17)	-1495 (-6,665.33)	-347.18 (-494.84)	-508.32 (-135.40)	-2044.13 (-9,945.80)	-58.31 (-619.94)	-2957.94 (-11,195.98)
		संबंधित प्रावधान	-0.70 (-95.96)	-0.07 (-0.28)	-8.56 (-2.36)	-1.20 (-2.19)	-10.54 (-100.79)	-0.75 (-97.98)	-0.24 (-0.65)	-10.29 (-20.21)	-1.20 (-2.46)	-12.48 (-121.30)
7	31 मार्च 2020 तक कुल पुनर्संरचना खाते (अंतिम स्थिति)	उधारकर्ताओं की सं.	4,018 (5,104)	200 (184)	410 (682)	222 (162)	4,850 (6,132)	4,667 (5,892)	317 (296)	493 (829)	252 (184)	5,729 (7,201)
		बकाया राशि	1,554.21 (2,199.61)	89.74 (536.32)	2187.33 (2,479.42)	413.27 (349.51)	4,244.56 (5,564.86)	1,779.88 (2,421.99)	339.18 (753.82)	3242.31 (4,858.18)	854.49 (846.92)	6215.86 (8,880.91)
		संबंधित प्रावधान	253.52 (183.85)	76.70 (76.80)	10.38 (15.41)	3.29 (2.60)	343.89 (278.66)	263.04 (193.26)	79.98 (76.80)	26.48 (31.67)	3.57 (2.60)	373.07 (304.33)

टिप्पणी :

1. बकाया में ₹ 44करोड़ की हुई वृद्धि (पिछले वर्ष ₹ 572 करोड़) नई वृद्धि में सम्मिलित
2. ₹ 2,286 करोड़ (पिछले वर्ष ₹5,616 करोड़) की बंदी और ₹ 184 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 597 करोड़) की बकाया शेष में घटाई गयी राशि को बट्टे खाते में शामिल किया गया है
3. उच्च प्रावधान नहीं की गई मानक आस्तियाँ योग के कालम में शामिल नहीं की गयी है।

घ) आरबीआई के परिपत्र क्रमांक डीबीआर क्र. बीपी. बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1.01.2019 के अनुसार पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है :-

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुनर्संरचित खातों की संख्या	93,573	60,057
कुल बकाया	6,035.93	2,872.49

ङ) तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियों का विवरण :

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	-	5,139.76
ii	जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	-	-
iii	उप योग (क)	-	5,139.76
iv	घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली (ख)	-	5,139.76
v	31 मार्च तक इतिशेष (क - ख)	-	-

च) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बिक्री की गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	खातों की संख्या	30	32
ii	प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को बिक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान का निवल)	127.71	101.17
iii	समग्र प्रतिफल*	712.84	1,236.62
iv	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	-	-
v	निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ/(हानि)	585.13	1,135.45

*भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिफल के भाग स्वरूप प्राप्त प्रतिभूति रसीदों को निवल बही मूल्य/अंकित मूल्य कीमत से कम आंका गया है।

छ) प्रतिभूतिकरण कंपनी/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई अनर्जक आस्तियों के कारण हुए लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनर्जक आस्तियों की बिक्री के मामले में लाभ एवं हानि खाते में प्रतिवर्तित किया गया अतिरिक्त प्रावधान	246.67	170.82

ज) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	(क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं.	Nil	Nil
	(ख) कुल बकाया राशि	Nil	Nil
2)	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या	Nil	Nil
	(ख) कुल बकाया राशि	Nil	Nil

झ) बिक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण: (₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) बिक्री किए गए खातों की सं.	12	15
2) कुल बकाया राशि	770.70	551.59
3) प्राप्त की गई कुल प्रतिफल राशि	363.88	271.15

ञ) मानक आस्तियों पर प्रावधान: **(₹ करोड़ में)**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	15,293.98	11,544.24

18.5. व्यवसाय अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	5.93%	6.45%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	0.97%	1.13%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.60%	1.71%
iv. आस्तियों पर आय*	0.48%	0.38%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (₹ करोड़ में)	23.73	21.05
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (₹ हजार में)	828.35	578.98

* (निवल आस्ति आधार पर)

18.6.आस्ति देयता प्रबंधन: 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	1दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक किंतु 2 मास तक	2 से अधिक किंतु 3 मास तक	3 से अधिक किंतु 6 मास तक	6 से अधिक किंतु 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	योग
जमाराशियाँ	61,000.40	81,740.96	37,397.22	60,992.50	67,323.35	52,966.63	1,47,492.87	8,84,125.18	7,95,452.18	3,81,382.99	11,11,402.81	36,81,277.08
	(50,412.96)	(89,018.26)	(48,210.68)	(82,393.15)	(1,26,563.94)	(1,09,843.95)	(3,16,203.23)	(6,02,960.92)	(5,92,806.58)	(3,24,913.60)	(8,98,293.46)	(32,41,620.73)
अग्रिम	44,156.96	13,618.48	16,535.47	37,631.95	44,757.21	35,877.97	1,17,416.16	1,98,447.37	8,70,870.70	3,19,249.93	7,50,935.58	24,49,497.79
	(57,442.98)	(14,151.74)	(16,608.14)	(31,096.94)	(42,616.30)	(44,774.93)	(75,159.25)	(1,16,239.21)	(10,82,113.87)	(2,09,766.10)	(6,35,320.10)	(23,25,289.56)
निवेश	-	723.63	16,260.31	6,012.07	9,495.37	28,297.98	51,810.86	99,275.54	3,31,272.42	2,25,496.00	5,83,061.03	13,51,705.21
	(188.13)	(4,423.08)	(3,965.20)	(17,133.59)	(20,404.80)	(33,033.97)	(45,189.57)	(70,272.40)	(182,741.13)	(1,55,126.51)	(5,14,476.14)	(10,46,954.52)
उधार-राशियाँ	823.85	1,53,783.04	1,469.67	11,857.36	13,923.44	14,091.50	38,619.46	33,828.43	68,089.88	50,667.23	30,143.85	4,17,297.70
	(915.24)	(13,829.39)	(4,180.76)	(9,892.09)	(20,370.67)	(27,941.89)	(41,265.36)	(55,907.52)	(78,368.05)	(49,093.15)	(12,891.53)	(3,14,655.65)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	20,756.79	4,673.29	6,896.79	15,877.37	18,425.06	21,565.40	42,269.41	52,925.55	1,21,257.36	78,665.89	61,116.20	4,44,429.10
	(44,464.27)	(5,354.64)	(8,137.20)	(20,603.01)	(25,000.46)	(23,193.94)	(36,944.55)	(43,842.32)	(1,12,403.17)	(83,445.52)	(47,435.08)	(4,50,824.16)
विदेशी मुद्रा देयताएँ$	27,955.86	8,346.94	2,687.12	16,523.04	20,318.23	21,034.39	45,402.52	63,708.64	57,863.70	39,598.84	14,511.65	3,17,950.91
	(25,950.88)	(15,075.64)	(8,027.84)	(18,994.07)	(29,216.63)	(35,828.10)	(54,776.09)	(62,965.89)	(64,113.98)	(46,576.87)	(13,758.15)	(3,75,284.14)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिम एवं निवेश (निवल का प्रावधान) को दर्शाते हैं

$ विदेशी मुद्रा देयताएँ, ऋण एवं जमा को दर्शाते हैं

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2020 के हैं)

18.7 एक्स्पोजर (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को भी ऋण प्रदान करता है।

क) स्थावर संपदा क्षेत्र

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर**		
i)	आवासीय बंधक	4,06,179.32	3,58,599.62
	ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा ऋण पूरी तरह सुरक्षित।	4,06,179.32	3,58,599.62
	जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसंख्या >= 10 लाख) में (i) 35 लाख रुपए तक व्यक्तिगत आवास ऋण (पिछला वर्ष 25 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 25 लाख रुपए (पिछला वर्ष 20 लाख रुपए)।	2,09,028.90	1,50,689.19
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	56,343.00	31,607.67
iii)	बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:	-	9,781.26
	क) आवासीय	-	-
	ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	9,781.26
II	**अप्रत्यक्ष एक्सपोजर**		
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	1,13,704.91	1,07,004.65
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर	**5,76,227.23**	**5,06,993.20**

ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कॉरपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	7,112.65	8,534.42
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	66.63	19.16
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	निरंक	93.49
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	निरंक	975.44
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	725.23	14.09
6)	संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉरपोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	निरंक	13.82
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	निरंक	निरंक
8)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	निरंक	निरंक
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	निरंक	निरंक
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	3,463.62	3,352.74
	एक्सपोजर पूंजी बाजार में कुल	**11,368.13**	**13,003.16**

ग) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है। यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अत: यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

(₹ करोड़ में))

जोखिम श्रेणी	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	5,586.26	16,716.77	निरंक	निरंक
बहुत कम	2,02,094.63	1,56,986.73	148.51	145.81
कम	16,539.05	20,546.89	निरंक	निरंक
मध्यम	9,767.77	8,326.76	निरंक	निरंक
अधिक	26,470.88	21,883.14	निरंक	निरंक
अत्यधिक	8,586.29	10,242.33	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	2,426.80	318.01	निरंक	निरंक
कुल	**2,71,471.68**	**2,35,020.63**	**148.51**	**145.81**

घ) एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता को दिए गए ऋणों में बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील जोखिम सीमा में ही एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता एक्सपोजर लिया है।

ड) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	5,92,821.83	5,59,246.43
i)	इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	निरंक
ii)	इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	निरंक

18.8 विविध

क. अर्थदंडों का प्रकटीकरण

- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक द्वारा कर्मचारी को कमीशन के रूप में पारिश्रमिक का भुगतान करने पर बैंक पर कुल ₹2.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) का जुर्माना लगाया है।

ख. एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए अर्थदंड

एसजीएल फार्म्स की बाउंसिंग के लिए कोई अर्थ दंड नहीं लगाया गया है।

18.9 लेखा मानकों के अनुसार आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

क) "लेखांकन मानक - 5 "अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि मद, और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन"

- वर्ष के दौरान, कोई सामग्री पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे ।
- पिछले वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 31मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ख) लेखा मानक - 15 "कर्मचारी हितलाभ"

i. नियत हितलाभ योजनाएं

1. कर्मचारी पेंशन तथा ग्रेच्युटी योजना

नीचे दी गई तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2020 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	1,09,830.37	95,362.15	12,852.56	12,189.05
वर्तमान सेवा लागत	970.09	953.34	440.06	447.17
ब्याज लागत	7,501.41	7,428.71	879.12	947.09
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	15,822.32	13,619.61	1,185.34	1,224.38
प्रदत्त लाभ	(3,475.67)	(3,914.34)	(1,909.91)	(1,955.13)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(4,842.15)	(3,619.10)	-	-
31 मार्च 2021 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	1,25,806.37	1,09,830.37	13,447.17	12,852.56
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2020 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	97,458.52	90,399.61	10,570.95	10,326.00
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	6,656.42	7,015.01	723.05	803.36
नियोक्ता द्वारा अंशदान	2,100.68	2,407.68	1,234.77	1,146.88
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	0.28	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(3,475.67)	(3,914.34)	(1,909.91)	(1,955.13)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	3,705.91	1,550.28	331.37	249.84
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	1,06,445.86	97,458.52	10,950.23	10,570.95
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2021 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,25,806.37	1,09,830.37	13,447.17	12,852.56
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,06,445.86	97,458.52	10,950.23	10,570.95
कमी/(अधिशेष)	19,360.51	12,371.85	2,496.94	2,281.61
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	19,360.51	12,371.85	2,496.94	2,281.61

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	1,25,806.37	1,09,830.37	13,447.17	12,852.56
आस्तियाँ	1,06,445.86	97,458.52	10,950.23	10,570.95
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	19,360.51	12,371.85	2,496.94	2,281.61
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	19,360.51	12,371.85	2,496.94	2,281.61
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	970.09	953.34	440.06	447.17
ब्याज लागत	7,501.41	7,428.71	879.12	947.09
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(6,656.42)	(7,015.01)	(723.05)	(803.36)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	(0.28)	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	-	-	-	-
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	12,116.41	12,069.33	853.97	974.54
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	13,931.49	13,436.09	1,450.10	1,565.44
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	6,656.42	7,015.01	723.05	803.36
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	3,705.91	1,550.28	331.37	249.84
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	10,362.33	8,565.29	1,054.42	1,053.20
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	12,371.85	4,962.54	2,281.61	1,863.05
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	13,931.49	13,436.09	1,450.10	1,565.44
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(4,842.15)	(3,619.10)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(2,100.68)	(2,407.68)	(1,234.77)	(1,146.88)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	19,360.51	12,371.85	2,496.94	2,281.61

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत किए गए निवेश निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	21.21%	18.45%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	38.68%	40.32%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	30.01%	30.01%
म्यूचुअल फंड	6.43%	6.90%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	1.85%	2.57%
अन्य	1.82%	1.75%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	पेंशन योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.90%	6.83%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.90%	6.83%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.60%	5.40%
पेंशन बढ़ोतरी दर	1.20%	0.80%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.82%	6.84%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	6.82%	6.84%
वेतन बढ़ोतरी	5.60%	5.40%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु संख्या सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

योजना में अधशिष / कमी
ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	7,291.02	12,872.60	12,189.05	12,852.56	13,447.17
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	7,281.18	9,140.76	10,326.00	10,570.95	10,950.23
अंतर	9.84	3,731.84	1,863.05	2,281.61	2,496.94
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	2,707.50	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	9.84	1,024.34	1,863.05	2,281.61	2,496.94

विगत (एक्सपिरियंस) समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	10.62	399.62	(212.11)	382.17	1,053.04
योजना आस्ति (हानि)/ लाभ	182.34	(25.96)	102.16	249.84	331.37

योजना में अधिशेष / कमी

पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	67,824.90	87,786.56	95,362.15	1,09,830.37	1,25,806.37
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	64,560.42	85,249.60	90,399.61	97,458.52	1,06,445.86
अंतर	3,264.48	2,536.96	4,962.54	12,371.85	19,360.51
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	3,264.48	2,536.96	4,962.54	12,371.85	19,360.51

एक्सपिरियंस समायोजन	31-03-2017 को समाप्त वर्ष	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	3,007.59	4,439.54	3,642.57	4,078.53	12,528.38
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	2,246.60	(135.07)	109.65	1,550.28	3,705.91

अगले वर्ष के लिए पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लिए अनुमानित अंशदान क्रमश: ₹ 3,190.72 तथा ₹ 1,610.61 है।

जैसा कि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की दर को डिस्काउंट दर में गणना की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए।

2. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास में हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन "निरंक" देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2020-21 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2020 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	31,188.49	30,487.93
वर्तमान सेवा लागत	3,289.62	1,017.99
ब्याज लागत	2,563.49	2,455.49
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	2,562.41	1,104.84
बीमांकिक हानि / (लाभ)	63.43	208.49
प्रदत्त लाभ	(4,378.30)	(4,086.25)
31 मार्च 2021 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	35,289.14	31,188.49
योजना आस्तियों में परिवर्तन		

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1 अप्रैल 2020 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	32,104.22	32,179.93
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,563.49	2,455.49
अंशदान	5,852.03	2,122.82
अलाभकारी निवेश की परिपक्वता पर हानि के लिए प्रावधान	(60.59)	(467.66)
प्रदत्त हितलाभ	(4,378.30)	(4,086.25)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	284.95	(100.11)
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	36,365.80	32,104.22
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2021 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	35,289.14	31,188.49
31 मार्च 2021 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	36,365.80	32,104.22
कमी/(अधिशेष)	(1,076.66)	(915.73)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	1,076.66	915.73
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	3,289.62	1,017.99
ब्याज लागत	2,563.49	2,455.49
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,563.49)	(2,455.49)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	3,289.62	1,017.99
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2020 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	3,289.62	1,017.99
नियोक्ता का अंशदान	(3,289.62)	(1,017.99)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	30.65%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.48%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा राशियाँ	30.76%
म्यूचुअल फंड	3.93%
अन्य	2.18%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.82%	6.84%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.50%	8.50%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.60%	5.40%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

(क) पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

(ख) तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेन्शन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्त्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में ₹ 648.17 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 541.97 करोड़) का अंशदान किया।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ)

(क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	7,533.04	6,870.40
वर्तमान सेवा लागत	311.06	284.97
ब्याज लागत	515.26	533.83
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	1,221.15	769.88
प्रदत्त लाभ	(1,398.27)	(926.04)
31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इतिशेष परिभाषित निवल देयता	8,182.24	7,533.04
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	311.06	284.97
ब्याज लागत	515.26	533.83
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	1,221.15	769.88
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	2,047.47	1,588.68
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	7,533.04	6,870.40
उपरोक्तानुसार व्यय	2,047.47	1,588.68
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(1,398.27)	(926.04)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	8,182.24	7,533.04

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.82%	6.84%
वेतन वृद्धि	5.60%	5.40%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

(ख) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹ 32.29 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष ₹ 21.71 करोड़) की राशि प्रदान की गई है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान" के तहत शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान अन्य दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभों के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	दीर्घ अवधि कर्मचारी लाभ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	अवकाश यात्रा तथा आवास यात्रा रियायत (नकदीकरण/उपयोग)	35.84	20.00
2	सिल्वर जुबली अवार्ड	1.82	3.91
3	अधिवर्षिता पर पुनर्वास व्यय	(2.89)	1.01
4	आकस्मिक अवकाश	-	-
5	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(2.48)	(3.21)
योग		**32.29**	**21.71**

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	6.82%	6.84%
वेतन वृद्धि	5.60%	5.40%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु दर सारणी	IALM (2006-08) ULTIMATE	IALM (2006-08) ULTIMATE

ग) लेखा मानक - 17 "खंडवार सूचना"

1. खंड अभिनिर्धारण

I. प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

निम्नलिखित बैंक के प्राथमिक खंड हैं:-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कारपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व लेने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

i. ट्रेजरी -

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ii. कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग-

कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉरपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉर्पोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-ट्रेजरी परिचालन भी शामिल हैं।

iii. खुदरा बैंकिंग-

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, जिसमें प्राथमिक रूप से इन शाखाओं से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

iv. अन्य बैंकिंग व्यवसाय -

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

i) देशी परिचालन- भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन- भारत के बाहर परिचालित शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III. अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड मुख्य संसाधन संग्रहण (मोबिलाईसिंग) इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग तथा ट्रेजरी खंड खुदरा बैंकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार संबंधित निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एमआरएफटीपी) का पालन किया जाता है जिसके अंतर्गत निधियन केंद्र नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है। निधियन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमा अथवा उधार के रूप में सृजित की जाने वाली निधियों का कल्पित क्रय करती है तथा आस्तियां सृजित करने में संलिप्त व्यवसाय इकाइयों को निधियों का कल्पित विक्रय करती है।

IV. व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा ट्रेजरी परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें अन-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	91,916.79	81,782.12	1,31,783.02	-	3,05,481.93
	(75,054.51)	(90,248.46)	(1,30,906.66)	(-)	(2,96,209.63)
गैर-आबंटित आय #					1,625.34
					(119.80)
कुल आय #					3,07,107.27
					(2,96,329.43)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)#	15,561.38	5,149.19	9,448.38	-	30,158.95
	(9,446.53)	(-3,996.75)	(18,058.78)	(-)	(23,508.56)
जोडें: अतिरिक्त मदें	1,539.73				1,539.73
	(6,215.64)				(6,215.64)
परिणाम (विशेष मदों के बाद)#	17,101.11	5,149.19	9,448.38	-	31,698.68
	(15,662.17)	(-3,996.75)	(18,058.78)	(-)	(29,724.20)
गैर-आबंटित आय (+) / व्यय (-) - निवल #					-4,157.56
					(-4,661.44)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
कर पूर्व लाभ #					27,541.12
					(25,062.76)
कर #					7,130.65
					(10,574.65)
असाधारण लाभ #					-
					(-)
निवल लाभ #					20,410.47
					(14,488.11)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियां *	14,53,111.55	11,97,649.91	18,15,024.48	-	44,65,785.93
	(11,34,532.91)	(11,77,636.15)	(15,80,600.47)	(-)	(38,92,769.53)
गैर-आबंटित आस्तियां *					68,643.70
					(58,624.39)
कुल आस्तियां *					45,34,429.63
					(39,51,393.92)
खंड देयताएं *	13,26,432.08	11,68,462.70	16,82,902.21	-	41,77,796.99
	(10,18,341.71)	(11,62,918.88)	(14,60,117.68)	(-)	(36,41,378.27)
गैर-आबंटित देयताएँ*					1,02,757.46
					(78,008.22)
कुल देयताएँ *					42,80,554.45
					(37,19,386.49)

(कोष्ठक के आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय (विशेष मदों से पूर्व) #	2,97,188.29	2,81,486.59	9,918.98	14,842.84	3,07,107.27	2,96,329.43
निवल लाभ #	17,236.17	10,332.81	3,174.30	4,155.30	20,410.47	14,488.11
आस्तियाँ*	40,56,851.69	35,11,389.86	4,77,577.94	4,40,004.06	45,34,429.63	39,51,393.92
देयताएँ *	38,02,976.51	32,79,382.43	4,77,577.94	4,40,004.06	42,80,554.44	37,19,386.49

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार

ग. " लेखा मानक - 18 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"

1. संबंधित पक्ष

ख) अनुषंगियाँ

i. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. कॉमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड
3. एसबीआई कनाडा बैंक .
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
5. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके लिमिटेड)
6. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
7. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
8. नेपाल एसबीआई बैंक लि.

ii. **देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ**

1. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
2. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
4. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईएफएमपीएल)
5. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
6. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप्स)
7. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
8. एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
9. एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
10. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
11. एसबीआई एसजी - ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
12. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
13. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15. एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
16. एसबीआई फाउंडेशन

iii. **विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ**

1. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लि.
2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राजील
4. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
5. एसबीआईकैप (यूके) लि.

ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि.
2. जियो पेमेंट्स बैंक लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
6. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

ग) सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय रूरल बैंक
7. मिजोरम रूरल बैंक
8. नागालैंड रूरल बैंक
9. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
10. उत्कल ग्रामीण बैंक
11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
12. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
13. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
14. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनैंस लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)
2. द क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
4. यस बैंक लिमिटेड

घ) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष (7 अक्तूबर 2020 से)
2. श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष (6 अक्तूबर 2020 तक)

3. श्री दिनेश कुमार खारा, प्रबंध निदेशक (6 अक्टूबर 2020 तक)
4. श्री सी.एस. शेट्टी, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
5. श्री अश्विनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स) (24 अगस्त 2020 से)
6. श्री स्वामीनाथन जानकीरमन, प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं सार्ग) (28 जनवरी 2021 से)
7. श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां) (28 जनवरी 2021 से)
8. श्री अरिजीत बसू, प्रबंध निदेशक (31 अक्तूबर 2020 तक)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
31 मार्च 2021 को बकाया			
उधार राशि	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा राशि	1,351.05	-	1,351.05
	(746.45)	(-)	(746.45)
अन्य देयताएँ	7.83	-	7.83
	(0.06)	(-)	(0.06)
बैंकों में अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-	-	-
	(300.00)	(-)	(300.00)
अग्रिम	1,434.76	-	1,434.76
	(113.50)	(-)	(113.50)
निवेश	12,520.51	-	12,520.51
	(11,003.36)	(-)	(11,003.36)
अन्य आस्तियां	150.79	-	150.79
	(212.33)	(-)	(212.33)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	2,935.10	-	2,935.10
	(-)	(-)	(-)
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया			
उधार राशि	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
जमा राशि	1,541.27	-	1,541.27
	(767.06)	(-)	(767.06)
अन्य देयताएँ	7.83	-	7.83
	(0.06)	(-)	(0.06)
बैंकों में अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	-	-	-
	(300.00)	(-)	(300.00)
अग्रिम	17,763.35	-	17,763.35
	(113.50)	(-)	(113.50)
निवेश	12,520.51	-	12,520.51
	(11,003.36)	(-)	(11,003.36)
अन्य आस्तियां	150.79	-	150.79
	(212.33)	(-)	(212.33)
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	2,935.10	-	2,935.10
	(-)	(-)	(-)
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान			
ब्याज आय	160.52	-	160.52
	(4.89)	(-)	(4.89)
ब्याज व्यय	18.44	-	18.44
	(0.82)	(-)	(0.82)
लाभांश से अर्जित आय	22.61	-	22.61
	(17.88)	(-)	(17.88)
अन्य आय	1.00	-	1.00
	(0.74)	(-)	(0.74)
अन्य व्यय	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	-	-	-
	(-)	(-)	(-)
प्रबंधन संविदाएँ	-	1.50	1.50
	(-)	(1.38)	(1.38)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार के बहुत महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हैं।

ड) लेखा-मानक - 19 "पट्टा"

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	61.32	116.77
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	109.10	399.69
5 वर्ष के पश्चात	10.57	104.46
योग	**180.99**	**620.92**

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹3,360.58 करोड़ (₹3,338.32 करोड़).

च) लेखा मानक -20 "प्रति शेयर उपार्जन"

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूलआय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	Nil	Nil
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	20,410.47	14,488.11
प्रति शेयर मूल आय (₹)	22.87	16.23
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	22.87	16.23
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1	1

छ) लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन"

1. **वर्तमान कर :-**

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹ 10,760.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 3,063.67 करोड़) वर्तमान कर के रूप में डेबिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

2. **आस्थगित कर :-**

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹ 3,630.23 करोड़ आस्थगित कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। (पिछले वर्ष ₹7,510.99 करोड़ डेबिट किया गया)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्तियां (डीटीए) ₹ 6,556.81 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 2,927.28 करोड़) रहीं, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹ 2.46 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6.16 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹ 6,559.27 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 2,933.44 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियां' (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	7,918.85	6,425.50
अग्रिमों के लिए प्रावधान	3,691.83	2,757.68
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	3,115.57	665.72
संचित हानि पर (पूर्ववर्ती सहयोगी बैंकों सहित)	-	-
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	759.10	809.99
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	199.52	116.18
विदेशी कार्यालयों से	275.67	253.17
योग	**15,960.54**	**11,028.24**
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	5,744.73	4,563.17
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,656.53	3,531.63
विदेशी कार्यालयों से	2.46	6.16
योग	**9,403.72**	**8,100.96**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**6,556.82**	**2,927.28**

ग. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर के लिए प्रावधान को मान्य करते हुए बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 बीएए के अंतर्गत अनुमत निचली कर दर के विकल्प को चुना है। तदनुसार, बैंक ने उल्लिखित धारा में निर्धारित कर दर के आधार पर 31 मार्च, 2019 को अपनी आस्थगित कर आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया तथा उस एमएटी क्रेडिट को पलट दिया जो अब उसके पास उपलब्ध नहीं है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान इस परिवर्तन का एक-बारगी प्रभाव ₹ 3,392.31 है।

ज) लेखा मानक-27 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में निवेश

निवेशों में ₹ 97.66 करोड़ (पिछले वर्ष ₹97.66 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज़ लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
2	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि	18.57 (18.57)	भारत	45%
3	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
4	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
5	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.#	- (-)	बरमुडा	45%
6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड- मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
8	जियो पेमेंट्स बैंक	69.60 (69.60)	भारत	30%

मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट पीटीई लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने निवेश पर 100% प्रावधान किया है।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़ें पिछले वर्ष के हैं)

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	227.35	242.72
जमा-राशियाँ	5.22	6.25
उधार-राशियाँ	2.92	-
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	55.51	59.47
योग	**291.00**	**308.44**
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	2.15	1.28
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	132.12	88.68
निवेश	67.77	104.74
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	18.77	32.19
अन्य आस्तियाँ	70.20	81.55
योग	**291.00**	**308.44**
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	2.10	0.56
आय		
अर्जित ब्याज	7.98	9.75
अन्य आय	164.29	184.37
योग	**172.27**	**194.12**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	3.42	0.28
परिचालन व्यय	153.99	133.69
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	13.16	14.70
योग	**167.19**	**148.67**
लाभ	**5.08**	**45.45**

झ) लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

ट) **लेखांकन मानक-29 " प्रावधान,आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां"**

आकस्मिक देयताओं का विवरण

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक आशा नहीं करता कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए अप्रदत्त शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। कल्पित राशियां, जो आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की जाती हैं, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ठ) **आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव**

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	628.62	525.26
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	2,981.22	137.17
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	68.45	5.30
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	111.41	28.51
इतिशेष	**3,429.98**	**628.62**

18.10 अतिरिक्त प्रकटन

1. प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ

प्रावधानों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए "प्रावधान एवं आकस्मिकताओं" का ब्यौरा	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कराधान हेतु प्रावधान		
- वर्तमान कर	10,760.88	2,803.14
- आस्थगित कर	-3,630.23	7,510.99
- आय कर का प्रतिलेखन / अतिरिक्त प्रावधान	-	260.53
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	3,014.50	538.55
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	27,269.95	42,997.50
पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(-) 25.60	(-) 221.54
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	3,789.78	(-) 877.40
अन्य प्रावधान	9,964.41	632.73
योग	**51,143.68**	**53,644.50**

2. अस्थिर प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	193.75	193.75
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	-	-
वर्ष के दौरान आहरण	-	-
इतिशेष	193.75	193.75

3. आरक्षित निधि से आहरण

वर्ष के दौरान, आरक्षित निधि से कोई आहरण नहीं किया गया।

4. शिकायतों की स्थिति

शिकायत एवं परिवाद नि वारण के लि ए बैंकों द्वा रा किए जानेवाले अतिरिक्त प्रकटीकरण

बैंक द्वारा ग्राहकों एवं बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त शिकायतों की सार रूप में सूचना

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	बैंक को ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें		
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,76,057	1,39,029
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	31,31,509	38,08,400
3	वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	31,61,286	37,71,372
3.1	इनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	1,20,191	1,48,436
4	वर्ष के अंत में विचाराधीन/ लंबित शिकायतों की संख्या	1,46,280	1,76,057
	बैंकिंग लोकपाल से बैंक द्वारा प्राप्त संधार्य शिकायतें		
5	बैंकिंग लोकपाल से बैंक द्वारा प्राप्त संधार्य शिकायतों की संख्या	58,956	53,083
5.1	क्रम 5 में से, बैंक के पक्ष में लोकपाल द्वारा निपटान किए गए शिकायतों की संख्या	54,680@	39,342
5.2	क्रम 5 में से, ऐसे शिकायतों की संख्या जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल द्वारा समझाने/मध्यस्थता/ सलाह से किया गया	12,024@	7,065
5.3	क्रम 5 में से, ऐसे शिकायतों की संख्या जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के खिलाफ निपटान देकर किया गया	6	15
6	वर्ष के अंत तक कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए को छोड़कर)	0	4

@इसमें 01.04.2020 को लंबित 9128 शिकायतें भी शामिल

नोट: संधार्य शिकायतों का आशय, बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 में विशेष रूप से उल्लिखित शिकायत और योजना के अधीन शामिल।

ग्राहकों से बैंक को प्राप्त होने वाली शिकायतों के पाँच प्रमुख आधार

शिकायतों के आधार, (यथा से संबंधित शिकायतें)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के मुकाबले प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/ कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	क्र 5, में कितनी शिकायतें 30 से अधिक दिनों से लंबित हैं
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष - 2020-21					
एटीएम/डेबिट कार्ड	1,14,230	18,04,653	-33.25	64,100	10,946
आईएनबी/एमबी	51,819	5,70,711	-9.50	43,015	22,620
लिया गया बैंक प्रभार	667	62,482	48.99	4,016	361
खातों का परिचालन	585	32,285	80.05	3,459	683
चेक बुक संबंधी	73	12,163	167.55	660	96
अन्य	8,683	6,49,215	54.64	31,030	350
योग	**1,76,057**	**31,31,509**	**-17.77**	**1,46,280**	**35,056**
पिछला वर्ष - 2019-20					
एटीएम/डेबिट कार्ड	1,07,785	27,03,608	-15.31	1,14,230	69,973
आईएनबी/एमबी	27,753	6,30,611	79.83	51,819	29,942
लिया गया बैंक प्रभार	2,166	31,871	1,225.2	667	71
खातों का परिचालन	672	17,931	2,796.77	585	128
चेक बुक संबंधी	274	4,546	1,056.74	73	7
अन्य	379	4,19,833	-37.81	8,683	55
योग	**1,39,029**	**38,08,400**	**-9.77**	**1,76,057**	**1,00,176**

5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006, के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

6. चुकौती आश्वासन पत्र

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दर्ज न किया गया हो।

7. प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात (पीसीआर):

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार बैंक के सकल अनर्जक आस्तियाँ अनुपात हेतु 87.75 % का प्रावधान किया गया। (पिछला वर्ष 83.62 %)

8. बैंक-बीमा व्यवसाय के संबंध में प्राप्त फीस/पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1,239.75	1,116.93
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	327.39	314.52
एनटीयूसी और मनु लाइफ फाइनांसियल लि.	0.83	0.86
टोकियो मरीन और एसीई	1.52	2.31
यूनिट ट्रस्ट और एलआईसी	0.22	0.35
एआईए सिंगापुर	0.06	1.12
आइएफएएसटी	0.17	-
योग	**1,569.95**	**1,436.09**

9. जमा राशियों, अग्रिमों, जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमा राशियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ	1,36,577.00	95,385.85
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	3.71%	2.94%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि	3,15,554.46	3,10,707.52
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	12.43%	12.82%

ग. ऋण-जोखिमों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम	4,35,690.45	5,25,714.23
बैंक के कुल ऋण-जोखिम में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	10.63%	13.93%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सबसे बड़े चार अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम	25,101.40	25,880.11

10. क्षेत्र-वार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	क्षेत्र	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत	बकाया कुल अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियाँ	इस क्षेत्र में सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में कुल अग्रिमों का प्रतिशत
क	**प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	2,12,818.77	32,392.47	15.22	2,04,185.71	32,558.27	15.95
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बृहद)	92,993.76	11,206.95	12.05	1,01,080.54	18,738.88	18.54
3	सेवाएँ	1,22,088.06	10,198.53	8.35	83,870.61	5,289.20	6.31
4	वैयक्तिक ऋण	1,71,541.16	2,352.84	1.37	1,66,800.34	3,131.18	1.88
	उप-योग (क)	**5,99,441.75**	**56,150.79**	**9.37**	**5,55,937.20**	**59,717.53**	**10.74**
ख	**गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ	1,562.08	205.85	13.18	2235.29	229.81	10.28
2	उद्योग (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम तथा बृहद)	6,78,089.82	47,770.41	7.04	10,54,285.42	74,644.63	7.08
3	सेवाएं	5,60,186.39	17,636.56	3.15	2,21,642.21	9,686.06	4.37
4	वैयक्तिक ऋण	7,00,113.23	4,625.41	0.66	5,88,744.65	4,813.82	0.82
	उप-योग (ख)	**19,39,951.52**	**70,238.23**	**3.62**	**18,66,907.57**	**89,374.32**	**4.79**
ग	**योग (क)+(ख)**	**25,39,393.27**	**1,26,389.02**	**4.98**	**24,22,844.77**	**1,49,091.85**	**6.15**

11. विदेशों में आस्तियाँ, अनर्जक आस्तियाँ और आय (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	कुल आस्तियाँ	4,77,577.94	4,40,004.06
2	कुल अनर्जक आस्तियाँ (सकल)	2,426.10	1,650.16
3	कुल राजस्व	9,918.98	14,842.84

12. तुलन-पत्र बाह्य प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

प्रायोजित विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) का नाम	देशीय	विदेशी
चालू वर्ष	निरंक	निरंक
पिछला वर्ष	निरंक	निरंक

13. प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर अनुपालन में बैंक द्वारा रखी गई कुल जोखिम राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) प्रथम हानि				
	ii) अन्य				
4.	एमएमआर से अतिरिक्त प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित जोखिम की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) तुलन पत्र बाह्य जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ख) तुलन पत्र जोखिम				
	i) अपनी आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				
	ii) अन्य पक्ष आस्तियों के प्रतिभूतिकरण से संबंधित जोखिम				
	1. प्रथम हानि				
	2. अन्य				

14. ऋण चूक स्वैप

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
		संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में	संरक्षण क्रेता के रूप में	संरक्षण विक्रेता के रूप में
1.	वर्ष के दौरान हुए लेन-देन की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/ जाएंगे				
	ख) नकद निपटान				
2.	वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए संरक्षण की राशि	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) इनमें से जो भौतिक रूप से निपटाए गए/जाएंगे				
	ख) नकद निपटान				
3.	वर्ष के दौरान लेन-देन की संख्या जहां क्रेडिट इवेंट भुगतान प्राप्त/प्रदत्त की गई	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) चालू वर्ष के लेनदेन से संबंधित				
	ख) पिछले वर्ष (वर्षों) के लेनदेन से संबंधित				
4.	अब तक पिछले वर्ष दौरान सीडीएस लेनदेन से संबंधित निवल आय/ लाभ (खर्च/हानि)	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) अदा किया गया/प्राप्त किया गया प्रीमियम				
	ख) क्रेडिट इवेंट भुगतान :				
	* अदा (आस्तियों के मूल्य की वसूली का निवल)				
	* प्राप्त (पूर्तियोग्य प्रतिबद्धता के मूल्य का निवल)				
5.	31 मार्च को बकाया लेनदेन	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) लेनदेनों की संख्या				
	ख) संरक्षण की राशि				
6.	वर्ष के दौरान लेनदेन का उच्चतम बकाया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
	क) लेनदेनों की संख्या (1 अप्रैल को)				
	ख) संरक्षण की राशि (1 अप्रैल को)				

15. अंतरा-समूह एक्सपोज़र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की कुल राशि	41,268.96	32,578.25
ii	शीर्ष बीस अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	41,263.80	32,577.04
iii	बैंक के उधारकर्ताओं/ग्राहकों के संबंध में कुल एक्सपोज़र की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोज़र का प्रतिशत	1.01%	0.86%
iv	अंतरा-समूह एक्सपोज़र की सीमाओं के उल्लंघन तथा उन पर की गई विनियामक कार्रवाई का विवरण	Nil	Nil

16. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई दावा न की गई देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईए निधि को अंतरित राशियों का प्रारंभि क अधिशेष	3,387.65	2,852.66
जमा : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	267.30	557.22
घटा: दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	18.54	22.23
डीईए निधि को अंतरित राशियों का इतिशेष	3,636.41	3,387.65

17. बचाव नहीं (अनहेड्ज) किया गया विदेशी मुद्रा एक्स्पोजर

'संस्थाओं को एक्सपोजर हेतु पूंजी एवं प्रावधानीकरण आवश्यकताएँ' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीओडी संख्या बीपी.बीसी 85/21.06.200 /2013-14 दिनांक 15 जनवरी 2014 के अनुसार, बैंक ने हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए प्रावधान किया।

31 मार्च 2021 के अनुसार ₹ 116.40 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 108.84 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए तथा ₹₹ 121.71 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹28.54 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए पूंजी आबंटन किया गया।

18. भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 27 मार्च 2020 तथा 23 मई 2020 के अनुसार बैंक ने सभी ऋणधारकों की अधिस्थगन अवधि की सुविधा बढ़ायी है। परिपत्र क्रमांक भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र DOR.No.BP.BC.63/21.04.048/2019-20 दिनांक 17 अप्रैल 2020 के अनुसार, COVID -19 नियामक पैकेज के संबंध में परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान निम्नानुसार है: -

विवरण	चालू वर्ष
संबंधित राशियाँ जहाँ अधिस्थगन/ आस्थगन अवधि बढ़ायी गयी है (31अगस्त 2020 तक) [बैंक ने सभी पात्र ग्राहकों के लिए इस मोराटोरियम लाभ को लागू किया है]	8,21,163.83
उपरोक्त (i) राशि में जहाँ परिसंपत्ति वर्गीकरण लाभ बढ़ाया गया है (31अगस्त 2020 तक)	11,357.78
2020 की चौथी तिमाही में किए गए प्रावधान	1,172.00
2021 की पहली तिमाही में किए गए प्रावधान	1,836.00
संबंधित लेखा अवधि में स्लिपेज के लिए समायोजित प्रावधान और अन्य प्रावधान	Nil
31 मार्च 2021 को अवशिष्ट प्रावधान (विव 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही के लिए प्रदत्त ₹ 3,338.00 करोड़ शामिल)	6,346.00

19. चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर):

क) स्टैण्डअलोन एलसीआर

चलनिधि सुरक्षा अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखें जिन्हें अत्यधिक गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेन्डर दिनों की समयावधि के लिए तरलता आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में बदला जा सके।

एलसीआर को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:-

$$\frac{\text{'उच्च गुणवत्तायुक्त तरल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)' का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेन्डर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्वाह}}$$

तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली ऐसी आस्तियाँ शामिल है जिन्हें तुरंत नकदी में बदला जा सकता है या दबाव की स्थिति में निधि प्राप्त करने के लिए जिन्हें संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। एचक्यूएलए के स्टॉक में दो श्रेणियों की आस्तियों को शामिल किया जाता है, अर्थात स्तर-1 तथा स्तर-2 आस्तियाँ। स्तर-1 0% मार्जिन (हैयरकट) वाली है, स्तर-2ए तथा स्टार-2बी आस्तियाँ क्रमश: 15% तथा 50% हेयरकट वाली हैं। आगामी 30 कलैंडर दिनों के लिए कुल अपेक्षित नकदी प्रवाह में से कुल प्रत्याशित नकदी बर्हिप्रवाह घटाने के बाद कुल निवल नकदी प्रवाह निकाला जाता है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों या देयताओं के प्रकारों तथा तुलन पत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं के प्रत्याशित प्रवाह या आहरण की दर से गुणा करके की जाती है। कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेषों तथा कुल प्रत्याशित नकदी प्रवाह के कुल 75% की अधिकतम सीमा तक प्रत्याशित प्रवाह की दर से गुणा करके की जाती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

चलनिधि कवरेज अनुपात											
भारतीय स्टेट बैंक											(₹ करोड़ में)
		31 मार्च 2021 तिमाही समाप्ति पर		31 दिसंबर 2020 तिमाही समाप्ति पर		30 सितंबर 2020 तिमाही समाप्ति पर		30 जून 2020 तिमाही समाप्ति पर		31 मार्च 2020 तिमाही समाप्ति पर	
एलसीआर घटक		कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ											
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		1,165,122		1,164,328		1,125,701		1,079,947		892,622
नकदी बहिर्वमन											
2	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	829,333	41,467	822,785	41,139	508,658	25,433	324,280	16,214	315,743	15,787
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	1,747,243	174,724	1,700,856	170,086	1,997,360	199,736	2,158,744	215,874	2,030,618	203,062
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	781	195	821	205	828	207	788	197	757	189
(ii)	गैर परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	883,699	541,738	830,749	504,707	806,917	490,491	820,911	492,004	727,791	442,254
(iii)	अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	139,993	1,372	18,524	1,290	3,687	3,252	7,036	6,987	1,652	18
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिसमें से:										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएँ से संबंधित बहिर्गमन	152,989	152,989	139,059	139,059	131,847	131,847	118,168	118,168	156,235	156,235
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	43,125	7,326	44,632	7,105	40,845	6,639	38,630	5,837	42,467	6,050
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	39,215	39,215	35,424	35,424	32,992	32,992	44,756	44,756	34,641	34,641
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	610,132	22,007	597,353	21,458	587,042	21,215	554,361	20,004	556,385	19,965
8	कुल नकदी बहिर्गमन	**4,446,513**	**981,034**	**4,190,202**	**920,473**	**4,110,176**	**911,812**	**4,067,674**	**920,042**	**3,866,288**	**878,200**
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	146,720	0	52,142	0	47,130	0	159,755	0	48,756	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	236,691	211,019	233,920	207,843	182,108	172,677	186,218	174,736	241,553	221,788
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	41,962	35,399	33,674	29,632	37,666	31,934	34,734	30,101	42,453	34,750
12	कुल नकदी अंतर्वाह	425,373	246,418	319,735	237,474	266,904	204,611	380,707	204,837	332,762	256,538
13	कुल एचक्यूएलए		1,165,122		1,164,328		1,125,701		1,079,947		892,622
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		734,616		682,999		707,201		715,205		621,662
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		**158.60%**		**170.47%**		**159.18%**		**151.00%**		**143.59%**

नोट 1: आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर. क्र. बीपी.बीसी.80/21.06.201/2014-15 दिनांकित 31 मार्च, 2015 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, औसत भारित तथा अभारित राशियों की गणना 1 जनवरी 2017 से साधारण दैनिक औसत को ध्यान में रखते हुए तथा जनवरी- मार्च 2021 तिमाही के लिए 69 दिन का डाटा प्वाईंट लेकर की गई है।

एलसीआर स्थिति आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 90% (बैंकिंग में कोविड के खतरे के प्रभाव को रोकने के लिए आरबीआई ने न्यूनतम बेंचमार्क को अस्थायी रूप से 100% से घटाकर 90% कर दिया है) की सीमा से अधिक है। बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 20-21 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 158.60% हैं। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹ 11,65,122 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 95.29% थीं। सरकारी प्रतिभूति कुल लेवल 1 आस्तियों का 96.63% है। स्तर-2ए आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 4.24% तथा स्तर-2बी आस्तियां कुल एचक्यूएलए का 0.47% थीं। तुलन पत्र का आकार बढ़ जाने के कारण नकदी प्रवाह की निवल स्थिति में बढ़ोतरी हुई। अंतर्वाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। भारित निवल नकदी प्रवाह स्थिति खुदरा तथा थोक खंड के ग्राहकों की जमा राशियों से ₹ 51,617 करोड़ की वृद्धि हुई। तिमाही के दौरान, औसत एलसीआर के लिए यूएसडी (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है, 326.52% रही।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा आल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत सुविभाजित हो तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक द्वारा दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए अनुरक्षित करता रहा है। भली भांति विवधिकृत खुदरा जमाएँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ख. समेकित एलसीआर

31 मार्च 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है। तदनुसार, एसबीआई समूह समेकित एलसीआर की गणना कर रहा है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं हैं: भारतीय स्टेट बैंक और आठ विदेशी बैंकिंग अनुषंगियां: बैंक एसबीआई बोत्सवाना लि., कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया), एसबीआई कनाडा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मारीशस) लि., पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लि.

एसबीआई समूह एलसीआर 31 मार्च 2021 को 159.06% है जो तीन महीनों, जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 के औसत पर आधारित है।

(₹ करोड़ में)

31.03.2021 (जनवरी - मार्च 2021) को समाप्त तिमाही के लिए समूह एलसीआर प्रकटीकरण टेंप्लेट

चलनिधि कवरेज अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक (₹ करोड़ में)

		31 मार्च 2021 तिमाही समाप्ति पर		31 दिसंबर 2020 तिमाही समाप्ति पर		30 सितंबर 2020 तिमाही समाप्ति पर		30 जून 2020 तिमाही समाप्ति पर		31 मार्च 2020 तिमाही समाप्ति पर	
एलसीआरएल घटक		**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**	**कुल भारित मूल्य (औसत)**
उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियाँ											
1	कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियां (एचक्यूएएल)		1,171,796		1,169,918		1,131,835		1,085,295		897,905
नकदी बहिर्वमन											
2	फुटकर जमाराशियां और लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जिनमें:										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	837,619	41,881	830,700	41,535	514,395	25,720	331,542	16,577	323,204	16,160
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	1,758,476	175,848	1,711,877	171,188	2,005,385	200,539	2,168,538	216,854	2,039,846	203,985
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन जिनमें से:										
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	920	230	970	242	965	241	1,049	262	882	220
(ii)	गैर परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	886,157	543,301	832,914	506,169	809,090	492,092	822,780	493,240	729,630	443,520
(iii)	अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	140,383	1,428	19,026	1,423	4,360	3,555	7,828	7,401	1,721	87
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिसमें से:										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताएँ से संबंधित बहिर्गमन	153,055	153,055	139,060	139,060	131,849	131,849	118,217	118,217	156,243	156,243
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्गमन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	ऋण एवं तरलता सुविधाएं	44,886	8,251	46,850	8,571	43,131	8,122	40,442	6,931	44,002	7,007
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	40,907	40,907	36,392	36,392	33,887	33,887	45,669	45,669	36,069	36,069
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	612,100	22,068	599,237	21,516	588,797	21,269	556,140	20,059	558,222	20,021
8	कुल नकदी बहिर्गमन	**4,474,505**	**986,968**	**4,217,026**	**926,096**	**4,131,858**	**917,273**	**4,092,204**	**925,210**	**3,889,820**	**883,313**
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋणान्वयन (उदाहराणार्थ प्रतिवर्ती रेपो)	146,720	0	52,142	0	47,130	0	159,755	0	48,756	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	242,807	214,517	239,745	210,989	187,445	175,757	191,340	177,579	246,736	224,450
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	42,301	35,739	34,012	29,970	37,980	32,247	34,965	30,325	43,430	35,712
12	कुल नकदी अंतर्वाह	431,828	250,255	325,899	240,959	272,555	208,005	386,059	207,904	338,922	260,162
13	कुल एचक्यूएलए		1,171,796		1,169,918		1,131,835		1,085,295		897,905
14	कुल निवल नकदी बहिर्गमन		736,713		685,137		709,269		717,306		623,152
15	चल निधि कवरेज अनुपात (%)		**159.06%**		**170.76%**		**159.58%**		**151.30%**		**144.09%**

** विदेश वित्त बैंकिंग अनुषंगियों के मामले में 3 महीने के मासिक औसत डाटा लिया गया और एसबीआई (एकल) के लिए दैनिक औसत लिया गया।

समूह अनिवार्य आवश्यकताओं से अधिक एसएलआर निवेशों के रूप में एचक्यूएलए रख रहा है। भली भांति विविधीकृत खुदरा जमाएँ कुल निधीयन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

20. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गयी कुल 5,724 मामलों में ₹ 10,085.92 करोड़ की धोखाधड़ियों (पिछले वर्ष 6,964 मामलों में ₹44.622.45 करोड़) में से . 660मामलों में ₹ 9,963.24 करोड़ (पिछले वर्ष 651 मामलों में ₹ 44,419.46 करोड़) अग्रिमों को धोखाधड़ियाँ घोषित किया गया है। वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी के संदर्भ में 31 मार्च, 2021 को बकाया राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है।

21. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों तथा कारपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

22. पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री

वर्ष के दौरान पुनर्संरचना कंपनियों को आस्तियों की बिक्री के कारण हुई ₹ 10.50 करोड़ (पिछला वर्ष ₹0.84 करोड़) कमी को चालू वर्ष में प्रभारित किया गया है।

23. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीदारी की है :-

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी	चालु वर्ष	पिछला वर्ष
1.	पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	37,405.25	47,525.75
2.	पीएसएलसी कृषि	14,883.50	-
3.	पीएसएलसी सामान्य	10,050.00	30,451.25
4.	पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	63,442.50	9,352.00
योग		**1,25,781.25**	**87,329.00**

31 मार्च 2021 तथा 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

24. काउंटर साइक्लिकल प्रोविजनिंग बफर (सीसीपीबी)

"अस्था यी प्रावधानों काउंटर साइक्लिकल केपिटल बफर का उपयोग' पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एसटीआर. आरइसी. बीसी. 10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई 2021 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2020 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 50% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

25. भारतीय रिजर्व बैंक के पत्र संख्या डीबीआर. नंबर बीपी 15199/21.04.048/2016-17 और डीबीआर सं. बीपी. 1906/21.04.048/ 2017-18 क्रमशः दिनांकित 23 जून 2017 तथा 28 अगस्त 2018 के अनुसार, 31 मार्च 2021 तक ऋणशोधन अक्षमता और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के उपबंधों के अंतर्गत आने वाले खातों के लिए बैंक ने ₹ 4479 करोड़ (कुल बकाया का 100%) का कुल प्रावधान किया है (पिछला वर्ष ₹ 5761.46 करोड़ {कुल बकाया का 93.53%})

26. **अनुसूची 14 "अन्य आय" के तहत निवेश (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/(हानि) में निम्नलिखित शामिल हैः**

- अनुसूची 14 "अन्य आय" के तहत निवेश (शुद्ध) की बिक्री पर लाभ/(हानि) में बैंक की सहायक कंपनी- एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में निवेश के कुछ हिस्से की बिक्री पर ₹ 1,539.73 करोड़ शामिल हैं। (पिछले वर्ष सहायक कंपनी एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कुछ हिस्से की बिक्री से ₹ 3,484.30 तथा एसबीआई कार्डस एवं पेमेंट्स सर्विसेस लि के कुछ हिस्से की बिक्री से ₹ 2,731.34

27. मानक आस्तियों का समाधान

आरबीआई के परिपत्र डीओआर संख्या बीपी.बीसी.3/21.04.048/2020-21 दिनांकित 6 अगस्त 2020 के संदर्भ में, वर्ष के दौरान कोविड-19 कारण स्ट्रेस में आए एसेट्स के रिजॉल्यूशन लिए फ्रेमवर्क का विवरण इस प्रकार है:

उधारकर्ताओं का प्रकार	(ए) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है	(बी) योजना के कार्यान्वयन से पहले (ए) में उल्लिखित खातों का एक्सपोजर	(सी) (बी), ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(डी) अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है	(ई) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि
वैयक्तिक ऋण	13,056	2,761.74	-	-	-
कॉरपोरेट व्यक्ति*	42,561	2,554.53	-	64.45	1,120.57
जिसमें एमएसएमई	42,555	1,779.35	-	-	33.91
अन्य	-	-	-	-	-
कुल	**55,617**	**5,316.27**	**-**	**64.45**	**1,120.57**

*दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 के धारा 3(7) में परिभाषित अनुसार

28. दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण फैलने के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई है और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई है। एक ऐसी स्थिति में जब चुनौतियां रोज सामने आ रही हैं तब बैंक सभी मोर्चों पर उनका सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है। बैंक के लिए प्रमुख चुनौतियां विस्तारित कार्यशील पूंजी चक्रों, नकदी प्रवाह प्रवृत्तियों में उतार-चढ़ाव और उधारकर्ताओं की ऋणों के खिलाफ अपने दायित्वों को समय पर पूरा करने में संभावित असमर्थता से हो सकती हैं । बैंक परिसंपत्तियों पर संभावित तनाव की चुनौतियों के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है । कोविड-19 के प्रभाव का एक निश्चित आकलन परिस्थितियों पर निर्भर है क्योंकि वे बाद की अवधि में विकसित होते हैं ।

    आरबीआई ने 27 मार्च 2020 की अधिसूचना संख्या आरबीआई/2019-20/186 डीओआर .सं.बीपी.बीसी. 47/21.04.048/2019-20 के माध्यम से व्यवधानों के कारण ऋण चुकौती के बोझ को कम करने के उपायों की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी और व्यवहार्य व्यवसायों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, भुगतानों का पुनर्निर्धारण - मीयादी ऋण और कार्यशील पूंजी सुविधाएं, कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को आसान बनाना, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) आदि के रूप में वर्गीकरण शामिल हैं।

    कोविड-19 महामारी के संभावित प्रभाव के लिए, इस समय प्राप्त सूचना तथा उस पर किए गए विश्लेषण, मूल्यांकन और समीक्षा के आधार पर बैंक ने सक्रिय रूप से अति रिक्त प्रावधान किया है। यह प्रावधान ऋण हानि प्रावधानों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधानों के अति रिक्त है। उपर्युक्त मूल्यांकन के आधार पर, बैंक प्रबंधन के विचार में बैंक तरलता या लाभप्रद ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव की अपेक्षा नहीं की जा रही हैं।

29. उधारकर्ता ओं पर कोविड-19 अवरोधों के कारण वित्ती य तनाव को कम करने और चुकौती दबाव को हलका करने के लिए, माननीय उच्चतम न्या यालय ने 23 मार्च, 2021 के आदेश के माध्यम से निर् देश दिया था कि 1 मार्च, 2020 से आधि 31 अगस्त, 2020 तक अधिस्थगन के दौरान की अवधि के लि ए ब्या ज/चक्रवृद्धि ब्या ज/दंडात्मक ब्या ज पर ब्याज का कोई शुल्क नहीं लगेगा और इस तरह के ब्या ज को ऋण राशि की अगली किस्त में ऋण/समायोजि त किए जाने के लि ए संबंधित उधारकर्ता ओं को वापस किया जाएगा। इस हि साब से बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज आय में 830 करोड़ रुपये को रिवर्स किया है।

30. भारतीय रिज़र्व बैंक सर्कुलर आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर के लिहाज से बीपी.बीसी 92/21.04.048/2015-16 दिनांक 18 अप्रैल, 2016 के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान, धोखाधड़ी के रूप में घोषित अग्रिम खाते के संबंध में, बैंक ने आरबीआई द्वारा अनुमत चार तिमाहियों में धोखाधड़ी का प्रावधान करने के लिए चुना था। हालांकि, बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष की पहली तिमाही में 31 मार्च, 2020 तक 5,230.37 करोड़ रुपये की पूरी शेष राशि प्रदान की है।

31. बैंक ने बाहरी स्वतंत्र मूल्यांककों से प्राप्त रिपोर्टों और 31 मार्च, 2021 तक पुनर्मूल्यां कन आरक्षित निधियों के समापन शेष के आधार पर 30 जून, 2019 को अचल संपत्तियों का पुनर्मूल्यां कन किया है, (सामान्य आरक्षित निधियों को अतंरित राशि का शुद्ध) ₹ 23,577.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 23,762.67 करोड़) है।

32. वर्ष के दौरान, बैंक ने 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी 11वीं द्वि-पक्षीय वेतन समझौतेके निपटान से उत्पन्न 5,353.50 करोड़ रुपये का लेखांकन किया है।

33. केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए 400% की दर से 4 रुपये प्रति शेयर लाभांश घोषित किया है।

34. पिछले वर्ष के आंकड़ों जहां भी आवश्यक हो, को वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण के अनुसार, पुनसमूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है, जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों/ लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार खुलासे किए गए हैं, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000s को छोड़ दिया गया है)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ /(हानि)		27541,11,61	25062,76,50
समायोजन:			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3317,55,25	3303,81,33
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ) / हानि (निवल)		28,58,17	28,37,38
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		-	-
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)/हानि		(1539,73,30)	(6215,64,59)
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		27244,35,02	42775,96,26
मानक आस्तियों पर प्रावधान		3789,78,38	(877,40,17)
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान		3014,49,66	538,55,05
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		9964,40,51	632,73,80
अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों, सहयोगियों में किए गए निवेश से आय		(642,86,22)	(212,03,35)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		5782,51,98	4781,23,16
		78500,21,06	69818,35,37
समायोजन:			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		439656,34,53	330234,72,36
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		92135,53,47	(96690,16,61)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(305564,41,58)	(74335,04,91)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(151452,58,06)	(182188,60,56)
अन्य देयताओ में वृद्धि / (कमी)		16516,35,43	13206,59,82
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		(77531,38,47)	(21255,66,60)
		92260,06,38	38790,18,87
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(2394,52,46)	(13102,32,71)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**क**	**89865,53,92**	**25687,86,16**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(2200,76,84)	(6136,07,14)
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों के निवेशों से आय		1539,73,30	6215,64,59
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ/(हानि)		642,86,22	212,03,35
अचल आस्तियों में निवल (वृद्धि) / कमी		(3336,08,64)	(3268,37,96)
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**ख**	**(3354,25,96)**	**(2976,77,16)**

(000s को छोड़ दिया गया है)

विवरण	अनुसूची संख्या	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2020 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि		-	-
पूंजीगत लिखतों का निवल निर्गम / (मोचन)		10583,16,20	8133,40,00
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(4950,52,99)	(4781,23,16)
प्रदत्त लाभांश		-	-
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**ग**	**5632,63,21**	**3352,16,84**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**घ**	**(202,20,77)**	**2543,63,55**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क)+(ख)+(ग)+(घ)		**91941,70,40**	**28606,89,39**
1 अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य		251097,00,54	222490,11,15
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		343038,70,94	251097,00,54
नोट:			
(1) नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :		**31.03.2021**	**31.03.2020**
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		213201,53,63	166735,77,90
बैंकों के पास जमाराशियां और मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		129837,17,31	84361,22,64
		343038,70,94	251097,00,54
(2) परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया।			

अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एंड एस)

स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(आर. सी एंड सार्ज)

अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(सीबी एंड जीएम)

चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(आर एंड डीबी)

निवेशक:

श्री. बी. वेणुगोपाल
डॉ. पुष्पेंद्र राय
डॉ. गणेश नटराजन
श्री मृगांक एम परांजपे
श्री केतन एस. विकमसी
श्री संजीव माहेश्वरी

स्थान:

मुंबई
नई दिल्ली
पुणे
मुंबई
मुंबई
मुंबई

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक : 21 मई, 2021

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अल्पेश वाघेला
भागीदार स.क्र. 142058
फर्म पं. क्र. 105049W

कृते एन सी राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर

वी चंद्रशेखरन
भागीदार स.क्र. 024844
फर्म पं. क्र. 003398S

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार स.क्र. 137686
फर्म पं. क्र. 104863W

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृष्ण साई जी एच
भागीदार स.क्र. 233399
फर्म पं. क्र. 004453S

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E

स्थान: मुंबई
दिनांक: **21** मई**, 2021**

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार स.क्र. 085669
फर्म पं. क्र.001111N

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

ए गोपालकृष्णन
भागीदार स.क्र. 018159
फर्म पं. क्र. 004610S

कृते जी पी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रदीप कुमार समल
भागीदार स.क्र. 061353
फर्म पं. क्र.
302082E

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोक्सी
भागीदार स.क्र. 37606
फर्म पं. क्र. 109574W

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N

कृते ओ पी तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस आर तोतला
भागीदार स.क्र. 071774
फर्म पं. क्र.000734C

कृते एस के कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी बी सिंह
भागीदार स.क्र. 073124
फर्म पं. क्र. 000745C

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

राजीव पुरी
भागीदार स.क्र. 084318
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N50000

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

एकल

प्रति

भारत के राष्ट्रपति,

केवल भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संलग्न केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2021 के तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ - साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 17 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार समूह, अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), वाणिज्यिक ग्राहक समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (केन्द्रीय), केन्द्रीय लेखा कार्यालय और 42 शाखाओं की, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 10766 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की;

   iii) विदेश स्थित 34 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की।

   हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में उन 13965 शाखाओं (अन्य लेखा यूनिट सहित) की विवरणियां तथा वे जो लेखापरीक्षा के विषय नहीं थे, भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 9.63 प्रतिशत, जमाराशियों में 23.89 प्रतिशत, ब्याज आय में 11.55 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 22.72 प्रतिशत है।

   हमारे अभिमत में तथा जहाँ तक हमें जानकारी है व हमें दी गई विवरणात्मक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी बैंक द्वारा उसी ढंग से दी गई हैं जैसी उससे अपेक्षित है और यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

   1) 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र में बैंक की सही और उचित स्थिति;

   2) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि खाते में लाभ की सही जानकारी;

   3) इसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण की सही और उचित स्थिति

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के 'लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां' भाग में दी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा संबंधित नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप स्वतंत्र रूप से की गई है। हमने इन अपेक्षाओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हम आश्वस्त हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं अपना अभिमत देने के लिए वे पर्याप्त और उचित आधार प्रस्तुत करते हैं।

मामले पर बल

3. कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बारे में एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट नंबर 18.10 (28) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है और बैंक सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है ।

   इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

4. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का समग्र केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समाधान कर लिया गया है और इनके बारे में जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	**लेखापरीक्षकों का उत्तर**
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिमों का वर्गीकरण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (संदर्भ: वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 की टिप्पणी 3 के साथ पठित अनुसूची 9) अग्रिम में बिल की खरीद और डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट ऋण मांग पर प्रस्तुत तथा मियादी ऋण। इन्हें आगे बैंक/ सरकारी गारंटी एवं प्रतिभूति रहित(बही ऋण के विरुद्ध ऋण सहित) प्रतिभूति और आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।	हमारी कार्यविधि अग्रिमों का सत्यापन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आईआरएसी मानदंडों और संबंधित परिपत्रों एवं निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भ में किया है जिसमें निम्नलिखित का भी सत्यापन किया गया: क. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता;

	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	अग्रिमों में बैंक की कुल परिसंपत्तियों का हिस्सा 54.02% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान की उचित व्यवस्था विद्यमान होनी चाहिए। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों का हिसाब अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में रखता है जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज़्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन साफ्टवेअर के माध्यम से की जाती है। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए अग्रिमों और प्रावधानीकरण की लेखपरीक्षा काफी श्रमसाध्य कार्य है। इसके साथ साथ, केवल बैंक के वित्तीय विवरण इसके प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित है।	ख. बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार मॉनीटरिंग व्यवस्था जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा व्यवस्था उपलब्ध है और यह कारगर है; ग. भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच; घ. हमने एनपीए की ट्रैकिंग, पहचान और मुद्रांकन और उसके संबंध में प्रावधान करने के लिए सीबीएस में इनबिल्ट किए गए व्यावसायिक तर्कों/मापदंडों के संबंध में बाहरी आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है। ङ हमने उपरोक्त आरबीआई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीडीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयारी सॉफ्टवेयर में अग्रिमों की मैपिंग की जांच की है। च. हमने अग्रिमों के विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों के कारगर होने की भी जांच की है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि सारभूत कार्यविधियों की प्रकृति, समय और व्याप्ति कैसी है और बैंक की मॉनीटरिंग व्यवस्था के अंतर्गत की गई विभिन्न लेखापरीक्षाओं एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण की टिप्पणियों का किस प्रकार अनुपालन किया जा रहा है; छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने सभी बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा भी की है। ज. हमने एनपीए की पहचान और तदनुरूपी आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान करने की निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन और जांच की; झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार भी किया।
ii	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 अनुसूची 17 के नोट 2 के वित्तीय विवरण के साथ पढ़ा जाए।) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, सिक्योरिटी प्राप्ति और अन्य अनुमोदित सिक्योरिटी में किया गया निवेश शामिल है। निवेशों का बैंक की कुल परिसंपत्तियों में 29.81% हिस्सा है। इन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परिपत्र और निदेश लागू होते हैं। इनका अन्यों के साथ साथ इन निदेशों के अनुसार अर्जक और अनर्जक निवेशों के रूप में आकलन करना होता है। इसी तरह आय में किन्हें शामिल नहीं करना है और इनके प्रति कितना प्रावधान करना है, इसका भी आकलन करना होता है।	भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों निदेशों के संदर्भ में निवेशों के प्रति हमारी लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, अलाभकारी निवेशों की पहचान, निवेश संबंधी प्रावधनीकरण मूल्यह्रास संबंधी आंतरिक नियंत्रकों और सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों की समझ शामिल है विशेषकरः क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेशों की पहचान, निवेशों से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबध्द दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का मूल्यांकन किया और उसे समझा; ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी जांच की गई। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए;

	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी (टाइप) की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त डेटा/सूचना जैसे एफआईएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई, अनलिस्टिड कंपनियों आदि के वित्तीय विवरण की प्राप्ति करनी होती है। मूल्यांकन की जटिलताओं और विवेक प्रयोग तथा लेनदेनों की मात्रा और हस्तगत निवेशों की मात्रा को देखते हुए, इसे महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामलों में शामिल किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखापरीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, अनर्जक निवेश की पहचान और अनर्जक निवेश के लिए प्रावधान पर केंद्रित है।	घ. हमने एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है।
iii	प्रावधानों एवं आकस्मिक देयताएं का निर्धारण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर तथा दूसरी पार्टियों द्वारा फाइल किए गए विभिन्न दावों सहित कुछ दावों को ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं किया गया है। (अनुसूची 12, वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 के नोट 18.9 (जे) के साथ पढ़ा जाए।) प्रावधान के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय विवेक की आवश्यकता होती है। बैंक का आकलन तथ्यों, उनके विवेक, भूतकालीन अनुभव पर आधारित है और इसके साथ-साथ जहा भी आवश्यक है विधिक तथा स्वतंत्र कर परामर्शदाताओं की सलाह भी लिया जाता है। तदनुसार बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई लाभ और तुलन-पत्र की स्थिति पर अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणामों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इन मामलों के परिणामों से संबंधित अनिश्चितता और कानून की व्याख्या में वस्तुपरक विवेक से उपर्युक्त क्षेत्र को हमने महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा का मामला माना है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा समीक्षाधीन विषय के विश्लेषण और विधि निर्णयों/ विश्लेषणों पर केंद्रित है।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल हैः परिस्थितियों में उपयुक्त हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना; क. कानूनी कार्यवाही/कर निर्धारण की वर्तमान स्थिति को समझना। ख. विभिन्न कर प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना और/अथवा हाल के आदेशों को पढ़ा और बैंक द्वारा उन पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को समझा। ग. जहाँ सुसंगत हो, बैंक द्वारा प्राप्त की गई हाल ही की स्वतंत्र विधिक/कर सूचना पर विश्वास किया और उसमें वर्णित आधारों का मूल्यांकन किया। और; घ. संबंधित मामलों के विवरण प्राप्त करना, चर्चा के जरिए बैंक का मूल्यांकन और परिणाम की संभाविता तथा उन प्रकरणों के कारण संभावित परिणाम बहिर्गमन। च .महत्वपूर्ण मुकदमों और कर निर्धारण मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।
iv.	संशोधित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जारी रखने के कोविड-19 महामारी के प्रकाश में किया गया: कोविड-19 महामारी के चलते कुछ राज्य सरकारों द्वारा घोषित लॉकडाउन और हमारे लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान राज्य सरकारों स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को जहाँ कही भी भौतिक पहुंच संभव नहीं हो, वहां दूर से लेखापरीक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिए गए निर्देश के कारण बैंक की कुछ शाखाओं/ स्था.प्र.कार्यालयों/ कॉरपोरेट केंद्र में स्थित व्यवसाय इंकाइयों के परिसरों का दौरा करके लेखा परीक्षा नहीं कराई जा सकी।	हमारे लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों/ स्थानीय प्रशासन द्वारा लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और अन्य यात्रा प्रतिबंधों के कारण कोविड-19 महामारी के फैलने के कारण, हम शाखाओं/मंडल/प्रशासनिक/कॉरपोरेट कार्यालयों की यात्रा नहीं कर सके और संबंधित कार्यालयों में शारीरिक रूप से लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को अंजाम नहीं दे सके। जहां कहीं भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, बैंक द्वारा डिजिटल माध्यम, ईमेल और सीबीएस, सीसीडीपी और अन्य संबंधित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर तक दूरस्थ पहुंच के माध्यम से हमें आवश्यक अभिलेख/ रिपोर्ट/दस्तावेज/प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए गए थे । इस सीमा तक, लेखा परीक्षा प्रक्रिया हमारे पास उपलब्ध कराए गए ऐसे दस्तावेजों, रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर की गई थी जिन पर वर्तमान अवधि के लिए लेखा परीक्षा और रिपोर्टिंग करने के लिए लेखा परीक्षा साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया था । तदनुसार, हमने नियंत्रण परीक्षण और ठोस परीक्षण के लिए अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को संशोधित किया जिसमें निम्नलिखित शामिल थेः

	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों का उत्तर
	चूँकि हम व्यक्तिगत/ भौतिक / शाखाओं / मंडलों / प्रशासनिक/ कॉरपोरेट कार्यालयों से पूर्ण या आंशिक रूप में लेखापरीक्षा के सबूत नहीं जुटा पाए हमने ऐसे संशोधित लेखापरीक्षा कार्यविधियों को प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचान किया है। तदनुसार दूर से लेखापरीक्षा करने के लिए हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधियों को संशोधित किया गया।	तदनुसार हमने अपनी लेखापरीक्षा कार्यविधियों को नियंत्रण जांच तथा सारभूत परीक्षण हेतु संशोधित किया जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं: क. बैंक की कुछ शाखाओं/स्थानीय प्रधान कार्यालयों/प्रशासनिक कार्यालयों और बैंक के अन्य कार्यालयों के संबंध में जहां भी भौतिक पहुंच संभव नहीं थी, वहां रिमोट एक्सेस/ईमेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवश्यक अभिलेखों/दस्तावेजों/सीबीएस/ सीसीडीपी और अन्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का सत्यापन किया। ख. बैंक के सुरक्षित नेटवर्क पर ईमेल और रिमोट एक्सेस के माध्यम से हमें उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों, विलेखों, प्रमाण पत्रों और संबंधित अभिलेखों की स्कैन प्रतियों का सत्यापन किया। ग. पूछताछ करना और वीडियो कांफ्रेंसिंग, संवाद और फोन कॉल/ सम्मेलन कॉल, ईमेल और इसी तरह के संचार चैनलों पर चर्चा के माध्यम से आवश्यक लेखा परीक्षा सबूत जुटाना। घ. हमारे लेखा परीक्षा टिप्पणियों का समाधान नामित अधिकारियों के साथ आमने-सामने की बातचीत के बजाय ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से किया गया।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना

5. अन्य सूचना तैयार करने में बैंक का निदेशक बोर्ड जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रकटीकरण सम्मिलित हैं, लेकिन इसमें केवल बैंक के वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जो हम इस लेखारीक्षा तिथि के पहले प्राप्त कर चुके हैं तथा निदेशकों की रिपोर्ट, जो हमें उस तिथि के बाद प्राप्त होनी है, शामिल नहीं है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत बासेल 3 के अंतर्गत अन्य सूचना और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को शामिल नहीं करता और हम उस पर कोई आश्वासन-निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं/नहीं करेंगे।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना केवल बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

यदि हम निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना गवर्नेंस से जुड़ों को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन से जुड़ें सदस्यों के दायित्व

6 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानकों सहित भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 की शर्तों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों व दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के नकदी प्रवाह और उसकी वित्तीय स्थिति व वित्तीय निष्पादन की सही व सटीक जानकारी प्रस्तुत करने वाले इन केवल बैंक के विवरणों को तैयार करने का दायित्व बैंक के निदेशक बोर्ड का है। इस दायित्व में यह भी शामिल है कि बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम की शर्तों के अनुसार लेखा अभिलेखों का समुचित रखरखाव किया जाए, धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं से बचा जाए तथा उनका पता किया जाए, ऐसे निर्णय और आकलन किए जाएं जो औचित्यपूर्ण व विवेकपूर्ण हों, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन व रखरखाव करें जो हम लेखाकरण अभिलेखों की यथार्थता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी व प्रस्तुति सुसंबद्ध हो जो सही एवं सटीक छवि प्रस्तुत करे और वस्तुगत गलतबयानी से परे हों, चाहे ऐसा धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंध मंडल का दायित्व है कि वह बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक बैंक का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की प्रबंध मंडल की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना निदेशक बोर्ड की जिम्मेदारी भी है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करनेवाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

7. हमारा उद्देश्य यह है कि केवल बैंक के वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन केवल बैंक के वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उसपर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी के पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना
- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील बैंक के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्थान के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

  केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूज़र संभवतः प्रभावित हो सकता है। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

  हम, अभिशान से जुड़े सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

  हम, अभिशान से जुड़े सदस्यों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

  अभिशासन से जुड़े सदस्यों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हमें चालू अवधि के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

8. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में शामिल 10842 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च 2021 को समाप्त बैंक के कुल आस्तियों का रु 34,44,485 करोड़ और कुल आय का रु 2,83,673 करोड़ शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उपर्युक्त विषयों के संदर्भ में हमारा अभिमत विचार सापेक्ष नहीं है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 7 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

1) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

2) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं;

3) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10. इसके साथ हम सूचित करते हैं कि:

    1. हमारे अभिमत में, कानून द्वारा अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें बैंक द्वारा रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा उन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी ऑडिट के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरणियां हमें प्राप्त हुई हैं जिन शाखाओं में हम नहीं गए।

    2. तुलन-पत्र लाभ और हानि खाते और इस रिपोर्ट में सम्मिलित नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं।

    3. हमारे अभिमत में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से शामिल किया गया है; तथा

    4. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के इस सीमा तक अनुरूप हैं कि ये आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

11. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस.एआरजी.संख्या.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2019-20 के अनुसार आवश्यक है, "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20" से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग पर 2020, आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के पत्र के साथ पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर आगे रिपोर्ट करते हैं:

    क हमारी राय में, उपरोक्त केवल भारतीय स्टेट बैंक के वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

    ख वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

    ग 31 मार्च, 2021 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा अभिलिखित रूप में किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में निदेशक नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

    घ खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट अनुबंध में दी गई है - एक इस रिपोर्ट में 31 मार्च, 2021 के रूप में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

(पैराग्राफ 11ई) में संदर्भित 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत हमारी रिपोर्ट की भी तारीख की धारा) भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस. एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (संशोधित के रूप में) ("आरबीआई संचार") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अल्पेश वाघेला
भागीदार स.क्र. 142058
फर्म पं. क्र. 105049W

कृते एन सी राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर

वी चंद्रशेखरन
भागीदार स.क्र. 024844
फर्म पं. क्र. 003398S

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार स.क्र. 137686
फर्म पं. क्र. 104863W

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृष्ण साई जी एच
भागीदार स.क्र. 233399
फर्म पं. क्र. 004453S

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E

स्थान: मुंबई
दिनांक: **21** मई**, 2021**

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार स.क्र. 085669
फर्म पं. क्र.001111N

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एंड कपनी
सनदी लेखाकार

ए गोपालकृष्णन
भागीदार स.क्र. 018159
फर्म पं. क्र. 004610S

कृते जी पी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रदीप कुमार समल
भागीदार स.क्र. 061353
फर्म पं. क्र.
302082E

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोक्सी
भागीदार स.क्र. 37606
फर्म पं. क्र. 109574W

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N

कृते ओ पी तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस आर तोतला
भागीदार स.क्र. 071774
फर्म पं. क्र.000734C

कृते एस के कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी बी सिंह
भागीदार स.क्र. 073124
फर्म पं. क्र. 000745C

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

राजीव पुरी
भागीदार स.क्र. 084318
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089

कृते एएसए एंड एसोशिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N50000

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध "ए"

(इस दिनांक की हमारी रिपोर्ट के "अन्य विधिक तथा निनियामक आवश्यकताएँ" के तहत पैरा11(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस. एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई संप्रेषण") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च,2021 तक भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा की है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ मिलकर है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है । इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो बैंक की नीतियों का पालन करने, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देश के तहत आवश्यक है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक अभिमत व्यक्त करना है । हमने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी किया गया आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट के अनुसार किया ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी ऑडिटिंग (एसएएस) पर मानक, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू सीमा तक लेखापरीक्षा की है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और योजना और लेखा परीक्षा के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्थापित किया गया और बनाए रखा गया और इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं या नहीं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का आकलन करना शामिल है कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन और आकलन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत बयान के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित अपनी रिपोर्टों के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, बैंक की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और पर्याप्त प्रतिबिंबित करती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक दर्ज किए जाते हैं, और बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) बैंक की परिसंपत्तियों की रोकथाम या समय पर पता लगाने, बैंक की परिसंपत्तियों का उपयोग या स्वभाव के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जिनका वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत बयान हो सकते हैं और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमानों के जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन की वजह से अपर्याप्त हो सकता है, या कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

अभिमत

हमारी राय में, और हमारी जानकारी का सबसे अच्छा करने के लिए और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के विचार के आधार पर नीचे उल्लिखित मामलों में संदर्भित, बैंक, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे के रूप में 31 मार्च को , 2021,"आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदंड" के आधार पर।

अन्य मामले

जहां तक यह 576 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता से संबंधित है, हमारी उपरोक्त रिपोर्ट उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अल्पेश वाघेला
भागीदार स.क्र. 142058
फर्म पं. क्र. 105049W

कृते एन सी राजगोपाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकर

वी चंद्रशेखरन
भागीदार स.क्र. 024844
फर्म पं. क्र. 003398S

कृते कर्णावट एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विरल जोशी
भागीदार स.क्र. 137686
फर्म पं. क्र. 104863W

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

कृष्ण साई जी एच
भागीदार स.क्र. 233399
फर्म पं. क्र. 004453S

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E

स्थान: मुंबई
दिनांक: **21** मई**, 2021**

कृते जे सी भल्ला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

राजेश सेठी
भागीदार स.क्र. 085669
फर्म पं. क्र.001111N

कृते के वेंकटाचलम अय्यर एंड कपनी
सनदी लेखाकार

ए गोपालकृष्णन
भागीदार स.क्र. 018159
फर्म पं. क्र. 004610S

कृते जी पी अग्रवाल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रदीप कुमार समल
भागीदार स.क्र. 061353
फर्म पं. क्र.
302082E

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

विपुल के चोक्सी
भागीदार स.क्र. 37606
फर्म पं. क्र. 109574W

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N

कृते ओ पी तोतला एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एस आर तोतला
भागीदार स.क्र. 071774
फर्म पं. क्र.000734C

कृते एस के कपूर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी बी सिंह
भागीदार स.क्र. 073124
फर्म पं. क्र. 000745C

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

राजीव पुरी
भागीदार स.क्र. 084318
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N50000